प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015 के नियम–19(1) के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के आधारभूत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। अन्तिम बार वर्ष–2015 में दिनाँक 24/25–12–2015 को आरक्षी नागरिक पुलिस का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था। वर्तमान में समसामयिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण उ0प्र0 द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संशोधित/रिवाइज्ड करने हेतु निम्नवत् पाठ्यक्रम समिति का गठन किया गया था :–

1– श्री सुनील कुमार गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद – अध्यक्ष
2– श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस अकादमी, मुरादाबाद – सदस्य
3– श्री प्रताप गोपेन्द्र , पुलिस अधीक्षक पी0टी0एस0, मुरादाबाद – सदस्य
4– श्री देवेन्द्र भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0, मुरादाबाद – सदस्य

2– उक्त पाठ्यक्रम समिति द्वारा आरक्षी ना0पु0 का संशोधित/रिवाइज्ड पाठ्यक्रम दिनाँक 19–06–2018 को प्रशिक्षण निदेशालय में प्रस्तुत की गई, जिसका पुर्नपरीक्षण प्रशिक्षण निदेशालय स्तर पर किया गया एवं प्रशिक्षण निदेशालय के पत्र संख्या प्रनि–प–289/2018 दिनाँक 22–06–2018 द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया।

3– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञापः डीजी–चार–173(32) 2008 दिनाँकित 29 दिसम्बर 2015 द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित करके जारी किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप को इस पुस्तिका के रूप में छापा जा रहा है।

4– आरक्षी नागरिक पुलिस के आधारभूत प्रशिक्षण की संरचना निम्नवत् निर्धारित की गई है।

1– 06 माह का आधारभूत प्रशिक्षण संस्थानों में
2– 06 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण जनपदों में

5– इस पाठ्यक्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशिक्षुओं को शिष्ट–विनम्र–जनोन्मुख एवं सेवोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य एवं जन सहमति एवं सहभागिता के साथ पुलिस कार्य करने का कौशल एवं मनोवृत्ति विकसित करने, उन्हें आत्मसम्मानी बनाने, उनके अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता के प्रति आदर जागृति कराने पर जोर दिया गया है।

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ

पत्रसंख्या–डीजी–चार–173(96)/2018
दिनांकः 26 मार्च, 2019

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश
कार्यालय ज्ञाप
संख्या–डीजी–चार–173(96)/2018
दिनांकः 02–07–2018

विषयः– आरक्षी नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण पाठयक्रम का निर्धारण।

सामान्य

1. उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी सेवा नियमावली एवं नियमों के अनुसार कराया जायेगा।
2. भर्ती के दिनांक से जनपदों में व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण करने तक प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को ''प्रशिक्षु आरक्षी'' (Trainee Constable) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
3. **प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचनाः–**

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत होगाः–

1– 06 माह का आधारभूत प्रशिक्षण लगातार संस्थानों में
2– 06 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण लगातार जनपदों में

प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जे0टी0सी0)

4. प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा एक प्रशिक्षण रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें प्रतिदिन उनके द्वारा की जा रही ट्रेनिंग के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी की जायेगी, जिसमें अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण तथा बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के बारे में लिखा जायेगा।
5. प्रशिक्षु आरक्षियों की भर्ती के पश्चात् विभिन्न जनपदों की पुलिस लाइन में उन्हें कुछ समय के लिए (30 दिवस से अनधिक) प्रारम्भिक परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला प्रभारी रिक्रूटों के आगमन पर निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेंगेः–

(क) आगमन के पश्चात् प्रशिक्षु आरक्षियों का नामिनल रोल फार्म भरवाये जायेंगे, जिस पर नवीनतम फोटो भी लगवाया जायेगा।

(ख) आगमन के समय ही भोजन व्यवस्था हेतु प्रत्येक प्रशिक्षु से मेस एडवान्स जमा कराया जायेगा। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु आरक्षी को प्रदान की जायेगी, तथा गहन प्रशिक्षण में भेजे जाते समय भोजन व्यय काटकर, शेष धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी।

(ग) समस्त रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के अगले दिन, प्रशिक्षुओं की एक

जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें उन्हें पुलिस लाइन का पूर्ण भ्रमण कराया जायेगा तथा जनपद के मुख्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस तथा अन्य विभागों के बारे में जानकारी करायी जायेगी।

(घ) जनपद पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षुओं को वर्दी की वे वस्तुयें उपलब्ध करायेंगे, जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्दी/सामग्री जनपद स्तर से क्रय करके उपलब्ध करायी जाती है, वह भी उपलब्ध करा दी जायेगी। वर्दी के साथ सभी के किट कार्ड भी बनवा दिये जाएं।

(च) जनपद पुलिस अधीक्षक सभी प्रशिक्षु आरक्षियों की चरित्र पंजी तैयार करायेंगे।

(छ) प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि में रिक्रूटों को विशेष रूप से वर्दी का रख–रखाव तथा उसको पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ों में अधिकारियों का अभिवादन करना, सावधान एवं विश्राम बनाना, पुलिस अधिकारियों के रैंक एवं अलंकारों का ज्ञान, परेड ग्राउण्ड, गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का विधिवत् ज्ञान कराया जायेगा।

(ज) जिला पुलिस प्रभारी जे0टी0सी0 प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार कराकर, प्रशिक्षु आरक्षियों के साथ ही सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को सीधे भेजेंगे। परिचय–पत्र, संस्था द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों को वितरित किये जायेंगे।

(झ) पुलिस अधीक्षक प्रति सप्ताह कम से कम एक बार इन प्रशिक्षु आरक्षियों से साक्षात्कार करेंगे।

गहन प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थान)

6. यहाँ ''संस्था प्रमुख'' का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी अथवा जनपद में नियुक्त जिला पुलिस प्रभारी तथा पी0ए0सी0 वाहिनियों में नियुक्त प्रभारी सेनानायक से है।

7. प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षु के प्रगति पत्रों का भली–भाँति अवलोकन किया जायेगा। यदि किसी प्रगति पत्र में कोई त्रुटि या कमी है तो सम्बन्धित जनपद प्रभारी से पत्राचार करके उसका निवारण कराया जायेगा। सभी प्रशिक्षु की चरित्र पंजिकाएँ उनके जनपदों से प्राप्त करके उसका परीक्षण कर लिया जाये, यदि कोई विसंगति पाई जाए तो उसका समाधान करा लिया जाए।

8. **आवास**

समस्त प्रशिक्षु आरक्षियों के लिए बैरक व अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बिजली व्यवस्था, पंखे तथा बेड की व्यवस्था की जायेगी। किसी प्रशिक्षु को निर्धारित बैरक आवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. भोजन व्यवस्था

(क) समस्त प्रशिक्षु आरक्षियों को प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर उनके लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा।

(ख) भोजन व्यवस्था के लिए आगमन के समय ही मेस एडवांस के रूप में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित धनराशि प्रशिक्षुओं से जमा करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रत्येक प्रशिक्षु आरक्षी को प्रदान की जायेगी, तथा दीक्षान्त समारोह के उपरान्त भोजन व्यय समायोजित करके शेष धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) मेस का पूर्ण संचालन स्वयं प्रशिक्षुओं द्वारा अपने ही बीच में से चयनित मेस प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा।

(घ) भोजन करते समय भोजनालय में लुंगी, गमछा आदि नहीं पहना जायेगा, निर्धारित की गयी पोशाक ही पहनी जायेगी।

(च) भोजन करते समय भोजनालय में प्रशिक्षुओं द्वारा उचित(यथा निर्देशित) परिधान पहना जायेगा। भोजन, भोजनालय में निर्धारित स्थान पर बैठकर किया जायेगा।

(छ) प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख द्वारा संस्था कटिंग के रूप में जो भी जनशक्ति अथवा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी वे लाभ/हानि रहित (No Profit No Loss) होंगी। परन्तु यह कटौती किसी भी दशा में रू0 600/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वे सुविधाएँ जिनका भुगतान सामूहिक रूप से किया जाना है, इस हेतु गठित संयुक्त समिति जिसमें प्रशिक्षु आरक्षी भी शामिल होंगे के द्वारा राशि निर्धारित कर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण के अन्त में कटौती की शेष धनराशि प्राप्त अंश के अनुपात में उसी बैच के प्रशिक्षुओं में वितरित कर दी जायेगी।

10. दिवसाधिकारी

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रतिदिन एक बाह्य विषय का प्रशिक्षक दिवसाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उसका कर्त्तव्य होगा, कि वह प्रशिक्षु आरक्षियों के मध्य अनुशासन एवं सुव्यवस्था बनाये रखे। किसी उल्लेखनीय बात की सूचना तुरन्त प्रतिसार निरीक्षक/उच्चाधिकारियों को दी जायेगी। ग्राउण्ड से मेस/बैरक से क्लास रूम, क्रीड़ा स्थल के मध्य संचरण, व्यवस्थित एवं सुसंस्कृत ढंग से किया जायेगा।

11. विद्यालय

प्रशिक्षुओं को अन्तः एवं बाह्य विषयों का प्रशिक्षण प्रस्तर–30 एवं 31 में दिये गये विषयों पर कराया जायेगा। परिशिष्टों में दिये गये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। आन्तरिक विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट–1 तथा बाह्य विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 में दिये गये विवरण के अनुसार होगा।

प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ्यक्रम की भी एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

12. पुस्तकालय एवं वाचनालय

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों तथा विभागीय ज्ञान से संबंधित पत्रिकायें इत्यादि रखी जायेंगी।

13. मनोरंजन

प्रशिक्षुओं के मनोरंजन के लिए मनोरंजन–गृह में टेलीविजन तथा इण्डोर गेम्स यथा कैरम बोर्ड, चेस इत्यादि की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षुओं के लिए उनकी संख्या के अनुपात में समाचार पत्रों की व्यवस्था होगी।

14. सूचना पट्ट

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओं के बैरक के निकट एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं आवश्यक आदेश/निर्देश चस्पा किये जायेंगे।

15. सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका

(1) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओं के आवास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(2) यह पेटिका प्रतिदिन संस्था प्रमुख या अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

(3) सभी सुझाव/शिकायतों को क्रमवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा एवं उसी में कृत कार्यवाही भी दर्ज की जायेगी।

16. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों का मासिक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इसमें प्राप्त सुझावों/समस्याओं को एक रजिस्टर में क्रमवार दर्ज किया जायेगा, और अगले सम्मेलन में कृत कार्यवाही भी दर्ज की जायेगी।

17. परिधान

प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड/पी0टी0/विद्यालय में निर्धारित वर्दी पहननी होगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्लास में प्रशिक्षु सादा परिधान धारण करेंगे।

18. खेल–कूद

प्रत्येक प्रशिक्षु आरक्षी को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेल–कूद के लिए बालीबॉल, फुटबॉल, बास्केट बॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती तथा तैराकी हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षुओं को मोटर साइकिल प्रशिक्षण हेतु संस्था द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

19. चिकित्सा सुविधा

समस्त प्रशिक्षु आरक्षियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी

जायेगी। विशेष दशा में चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर अन्यत्र उपचार की व्यवस्था करायी जायेगी एवं जिस प्रशिक्षण केन्द्र से चिकित्सालय काफी दूर स्थित होगा, वहाँ पर प्रशिक्षु के उपचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके उपचार की व्यवस्था करेंगे।

20. अवकाश

(क) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षणार्थी को सामान्य रूप से कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रभारी द्वारा एक बार में अधिकतम् 03 दिवस तथा पूरे सत्र के दौरान अधिकतम् 06 दिवस तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा लिये गये अवकाशों की सूचना जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार गहन प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा लिये गये अवकाशों की सूचना संस्था प्रमुख द्वारा जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी।

(ख) प्रशिक्षण की अवधि में बिना अनुमति अनुपस्थिति, अवकाश से विलम्ब से आगमन या झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करना एक गम्भीर कदाचरण है। ऐसे प्रशिक्षु आरक्षी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी, और सेवामुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(ग) विशेष अवसर पर संस्था प्रमुख द्वारा सामूहिक अवकाश/अनुमति दी जा सकेगी। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों, जिनमें कई दिन का आकस्मिक अवकाश रहता है, उन अवसरों पर संस्था प्रमुख द्वारा सामूहिक अवकाश इस प्रकार दिया जा सकेगा, जिससे प्रशिक्षण प्रभावित न हो। प्रशिक्षण निदेशालय इसका अनुश्रवण अपने स्तर से करता रहेगा।

21. प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति

(1) प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारणवश 15 कार्य दिवस से अनधिक अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थी को उसी चरण में अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर कोर्स पूरा कराया जायेगा।

(2) पूरे प्रशिक्षण काल में 15 दिवस से अधिक किन्तु 30 दिवस तक अवकाश या किसी भी अन्य कारण से अनुपस्थित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) प्रशिक्षण के दौरान 15 दिवस से अधिक तथा 30 दिवस तक किसी भी कारण से अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अलग से 06 सप्ताह का एक पूरक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और उसके उपरान्त उनकी समस्त परीक्षायें सम्पन्न करायी जायेंगी।

(4) किसी भी कारण से पूरे प्रशिक्षण काल में 30 दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थी को उसके नियुक्ति के जनपद को वापस कर दिया जायेगा। उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच कराकर यह समाधान किया जायेगा, कि क्या उक्त अनुपस्थिति ऐसी प्रकृति की है कि उसे समुचित चेतावनी अथवा दण्ड देकर अगले बैच के साथ पुनः

आधारभूत प्रशिक्षण करा दिया जाये, अथवा उक्त अनुपस्थिति बिना किसी आधार के है और अत्यन्त प्रमाद एवं लापरवाही पूर्ण है तथा उससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि उक्त प्रशिक्षणार्थी के एक अच्छे एवं सुयोग्य पुलिस कर्मी के रूप में विकसित होने की सम्भावना नहीं है तो ऐसी स्थिति में ''उ0प्र0 पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015'' के नियम 20 के अन्तर्गत उसकी सेवायें समाप्त कर सकते हैं।

(5) यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त प्रस्तर–4 के अन्तर्गत इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इन्हें प्रशिक्षण का मौका पुनः दिया जाना चाहिए तो वे तद्नुसार प्रशिक्षण निदेशालय को सूचित करेंगे। प्रशिक्षण निदेशालय अगले आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स में उन्हें शामिल करने का निर्णय लेकर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी उसे समय से आधारभूत प्रशिक्षण में भेज सकेंगे।

(6) प्रशिक्षणार्थियों के वेतन के संबंध में ''उ0प्र0 पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015 के नियम 23, 24 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।''

22. महिला प्रशिक्षु आरक्षी द्वारा गर्भ धारण

(1) आगमन के समय प्रत्येक महिला प्रशिक्षु इस बात का घोषणा पत्र देगी कि वह गर्भवती नहीं है, तथा यदि प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती होती है, तो उसको तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जायेगा।

(2) यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर प्रसव हुआ है तो प्रशिक्षण में शामिल होने के पूर्व उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रशिक्षण हेतु फिट होने का प्रमाण–पत्र देना होगा। राज्य से बाहर की निवासी महिला को यह प्रमाण–पत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के जनपद में स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त करना होगा।

(3) ऐसी गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रसूति की तिथि के एक वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रशिक्षण उसी स्तर से पुनः आरम्भ होगा जहाँ से छोड़ा गया था।

23. श्रमदान

श्रमदान पुलिस प्रशिक्षण की दृष्टि से अत्यंत अहम विषय है। श्रमदान का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार को पूर्वान्ह में ही कराया जाए, जिसमें परेड ग्राउण्ड, क्वार्टर गार्द, बैरक एवं बैरक एरिया, गार्डेन की सफाई व रख–रखाव का कार्य कराया जाए। कार्य दिवसों में बाह्य एवं अन्तः विषयों के कालांशों में कोई श्रमदान नहीं कराया जायेगा।

24. परीक्षा

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत दर्शाये गये परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति पर अनुत्तीर्ण होने पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ से निर्गत निर्देशानुसार पूरक प्रशिक्षण कराया जायेगा। नकल करते हुये पकड़ा जाना, एक गम्भीर दुराचरण है। नकल करते

हुये पकड़े जाने पर जाँच के उपरान्त समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही, जो अनुशासनिक अधिकारी उचित समझे की जायेगी। उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। यदि प्रशिक्षु को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाता है तो उसे पूरक प्रशिक्षण के साथ दुबारा उस विषय की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जायेगा। परीक्षाएं, प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र अपने निकट पर्यवेक्षण में इस प्रकार स्वयं उपस्थित रहकर आयोजित करेंगे कि नकल न होने पाए।

25. पुरस्कार

प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक आन्तरिक एवं बाह्य विषयों के प्राप्तांकों में प्रथम स्थान पाने वाले तथा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी द्वारा प्रदत्त अंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रिक्रूटों को पुरस्कृत किया जायेगा। आन्तरिक विषयों एवं बाह्य विषयों के प्राप्तांकों के योग में प्रथम/सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी एवं परेड कमाण्डर प्रथम एवं द्वितीय को भी पुरस्कृत किया जायेगा। प्रशिक्षण में विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट उप निरीक्षक अध्यापक, आई0टी0आई0/पी0टी0आई0 को भी प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा अलग से पुरस्कृत किया जायेगा।

26. पर्यवेक्षण

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण, संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख द्वारा चयनित राजपत्रित अधिकारी प्रशिक्षण का प्रभारी होगा। प्रत्येक सप्ताह में एक पीरियड ट्यूटोरियल होगा। प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न टोलियों से लेकर एक क्लास बनाई जायेगी। एक क्लास टीचर नियुक्त होगा, जो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का ट्यूटोरियल लेगा और प्रशिक्षणार्थी की प्रगति से संस्था प्रभारी को अवगत करायेगा। प्रत्येक माह के अन्त में हर विषय से संबंधित एक केस स्टडी को, जिसका विषय प्रभारी द्वारा विधिवत् रिक्रूटों को समझाया जायेगा, प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु को पुलिस के विभिन्न विषयों पर लिखित रिपोर्ट तैयार करने ऑडियो–विजुअल, मौखिक अभ्यास कर पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। आन्तरिक विषय के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं अध्यापक उत्तरदायी होंगे तथा बाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु आर0आई0 अथवा प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा नामित किये गये बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण प्रभारी उत्तरदायी होंगे। राजपत्रित अधिकारीगण भी कक्षाएं अवश्य लेंगे।

27. प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः–

(क)–सामान्य निर्देश–

प्रशिक्षुओं के आत्म–सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें स्वयं अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीन–भावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला जाये। एक आत्मसम्मान वाला आरक्षी ही नागरिकों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा।

प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत

की जाये।

प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अशिष्ट/उद्दण्ड व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये, शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।

प्रशिक्षुओं को व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये, चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अभियुक्त हो, घायल हो अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये, उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों/शवों को उठाते/परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।

प्रशिक्षुओं में अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्टाचार का द्योतक है। उदाहरणार्थ– तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय ''क्षमा करियेगा/माफ करियेगा'' इत्यादि संबोधन उचित है। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।

(ख)–अन्तःकक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः–

1. प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी प्रत्येक सप्ताह का टाइम टेबिल जारी करेंगे।
2. प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है, कि वह लैसन प्लान के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करें।
3. प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है, कि कालाँश के लिये उच्च कोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले ही तैयार कर लें। प्रशिक्षक इसमें अपने व्यवहारिक व उपयोगी अनुभव का समावेश भी करें।
4. पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करा दी जाये, जिससे वे स्वयं तैयार होकर आयें और कक्ष प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठा सकें।
5. विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं यथासम्भव पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।
6. प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा/वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी व अन्य ड्यूटी आदि के पूर्व मौलिक सिद्धान्त समझाये।
7. ऐसे प्रश्न तैयार किये जायें, जिसके उत्तर में, पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों। पाठ को रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाये।
8. सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख–रखाव भी साफ–सुथरा हो।
9. प्रत्येक कालाँश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहो को दूर करें।
10. कमजोर प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों

का उत्साह बढ़ायें।

11. ज्ञान जन सेवा के लिए है, अतः प्रत्येक विषय या अंश का क्रियात्मक अभ्यास अवश्य कराया जाये।
12. कतिपय महत्वपूर्ण लेखात्मक कार्यों का अभ्यास कराया जाये। निम्न अभिलेखों को तैयार करने का अभ्यास कराया जाय–जी.डी. लेखन, एफ. आइ.आर. लेखन, एन.सी.आर. लेखन, अभिलेखों में प्रविष्टियाँ, गिरफ्तारी एवं फर्द गिरफ्तारी, जामा तलाशी एवं फर्द, खाना तलाशी एवं फर्द, बीट सूचना अंकित करना, अभिसूचना रिपोर्ट तैयार करना, जी.डी. में माल/मुल्जिम का दाखिला, मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि, वाहन की तलाशी लेना, अपराधियों के शक पर वाहन/घर की तलाशी, कार्यालय की तलाशी, चिट्ठी मजरूबी तैयार करना, यौन अपराध पीड़ित महिला से सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव करना, पीड़ित व्यक्ति से आवश्यकतानुसार साक्षात्कार करना, अभियुक्तों को अदालत में पेश करना, घटनास्थल को सुरक्षित रखना, मानव शव को उठाना, सील करना, परिवहन एवं अन्तिम संस्कार, बल प्रयोग के मौके से घायलों को उठाना, फर्स्ट एड एवं चिकित्सालय भेजना।
13. प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित तीन विषयों का अभ्यास कराकर दक्षता प्राप्त करायी जाय–
    1. कृत्रिम घटनाक्रम बनाकर उसकी जाँचें करना तथा जाँच आख्या तैयार करना।
    2. किसी विषय पर निबन्ध लिखना।
    3. किसी लेख को पढ़कर उसका संक्षिप्तीकरण (Precis) लिखना।

(ग)–बाह्य कक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः–

1. पाठ को सुविधाजनक भागों (कालांशों) में विभाजित करें तथा सबक चलायें ।
2. विषय के अनुसार हिन्दी में व्याख्या करें।
3. अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन द्वारा नमूना दें।
4. विभिन्न हरकतों को एक–एक करके प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से कराया जाय, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।
5. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की त्रुटियों को व्यक्तिगत रूप से नाम से पुकार कर सही करें। अनावश्यक टीका–टिप्पणी न करें। जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उससे भिज्ञ न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालाँश में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशिक्षुओं का मनोबल न गिरने पाये।
6. किसी प्रशिक्षणार्थी को खराब हरकत करने की अनुमति कभी भी न दें।
7. वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।
8. शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें जो उसके पूरे जीवन के

लिए लाभकारी हो।

9. खेल, तैराकी, एथलेटिक्स व कठिन बाधाओं को पार करने में रूचि उत्पन्न करायें।
10. प्रशिक्षणार्थियों की रूचि के अनुसार जूडो–कराटे/कुश्ती/ बाक्सिंग आदि विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें।
11. बाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठयक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा नामित बाह्य प्रशिक्षण प्रभारी उत्तरदायी होगें।

(घ) व्यवहारिक अभ्यास–

आउटडोर के समस्त विषयों का व्यवहारिक अभ्यास अवश्य करायें। उदाहरणार्थ–घर की तलाशी, जंगल का कार्डन व तलाशी, आबादी वाले क्षेत्र का कार्डन व तलाशी, वाहन की तलाशी, जमीनी आड़/छिपाव हासिल करते हुये सशस्त्र व्यक्तियों का पीछा करना एवं फायर करना/ दबोचना, बन्द कमरे/भवन में दाखिल होना, भवन के अन्दर प्रवेश एवं सशस्त्र कार्यवाही, हिंसक भीड़ पर बल प्रयोग, हिंसक व्यक्ति को बिना शारीरिक चोट पहुँचाये हुए बन्दी बनाना/परिरूद्ध करना, अशिष्ट/उद्दण्ड व्यक्ति को बिना उत्तेजित हुये वार्ता करना एवं उसे शान्त करना इत्यादि का पर्याप्त अभ्यास कराया जाये।

28. पूर्ण अवधि को निम्नवत विभाजित किया जायेगा :–

क्र0 सं0	विषय	अवधि (06 माह)
1	अवधि (06 माह)	180
2	रविवार एवं अवकाश की संख्या	35
3	''जीरो डे''	01
4	अन्तः एवं बाह्य विषय परीक्षा एवं दीक्षान्त परेड का अभ्यास	16
5	सामूहिक–अवकाश	03
6	प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल दिन	125
7	कांलाश– प्रतिदिन	अन्तःविषय– 06 कालांश बाह्य विषय– 05 कालांश
8	कुल कालांश	अन्तःविषय–125X6 = 750 कालाँश बाह्य विषय–125X5 = 625 कालाँश
9	कुल कालांशों की संख्या	1375
10	प्रति कालांश समयावधि	40 मिनट

1. <u>अन्तः एवं बाह्य प्रशिक्षण के मध्य कालाँशों/अंकों का विभाजन निम्नवत होगाः–</u>

क्र0सं0	विषय	कालांश	अंक
1.	अंतः कक्षीय	750	800
2.	बाह्य कक्षीय	625	600
3.	प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख का मूल्यांकन	–	100
	कुल योग	**1375**	**1500**

<u>नोट–</u> 06 माह का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त अन्तिम परीक्षा आयोजित की जायेगी। इनका परीक्षाफल प्रशिक्षण निदेशालय को भेजा जायेगा। साथ में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की सूची मय प्राप्तांक के प्रेषित की जायेगी।

29. अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण के कालाँश एवं अंकों का अन्तिम रूप निम्नवत होगा :–

क्र0 सं0	प्रश्न पत्र	विषय वस्तु	कालाँश	पूर्णांक
1	प्रथम	पुलिस का इतिहास, पुलिस संगठन, अर्न्तविभागीय समन्वय, पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन	100	100
2	द्वितीय	पुलिस विज्ञान–प्रथम (अपराध नियन्त्रण, विवेचना, अभियोजन एवं पुलिस रेगुलेशन)	115	125
3	तृतीय	पुलिस विज्ञान–द्वितीय (सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन, यातायात नियन्त्रण, पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार, गार्द ड्यूटी, बन्दी स्कोर्ट, हवालात ड्यूटी)	110	125
4	चतुर्थ	भारतीय संविधान, मानवाधिकार तथा बाल संरक्षण एवं लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस आचरण, व्यवहार एवं संवाद कौशल	110	125
5	पंचम	अपराध विधि (क्रिमिनल लॉ), भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम,	115	125
6	षष्टम	विविध अधिनियम	100	100
7	सप्तम	कम्प्यूटर ज्ञान एवं साइबर क्राइम	50	50
8	अष्टम	विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा शास्त्र, प्राथमिक उपचार	50	50
		योग	750	800

30. बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के कालाँश एवं अंकों का अन्तिम रूप निम्नवत होगा :–

ऽ0 सं0	प्रश्न पत्र	विषय वस्तु	कालाँश	पूर्णांक
1	प्रथम	शारीरिक प्रशिक्षण	100	100
2	द्वितीय	पदाति प्रशिक्षण	100	75
3	तृतीय	शस्त्र प्रशिक्षण	65	65
4	चतुर्थ	जंगल प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स	70	75
5	पंचम	भीड़ नियन्त्रण	40	50
6	षष्टम	अनआर्म्ड काम्बैट (यू0ए0सी0)	35	30
7	सप्तम्	योगासन	40	35
8	अष्टम्	यातायात नियन्त्रण	35	40
9	नवम्	आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण एवं वन मिनट ड्रिल	100	85
10	दशम्	विशिष्ट तलाशी अभियान	40	45
योग			**625**	**600**

31. प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित अंक

(अ)

ऽ0सं0	विषय	अंक
1	नेतृत्व क्षमता (कक्षा मॉनीटर/टोली कमाण्डर/मेस मैनेजर एवं अन्य गतिविधियाँ	20
2	खेलकूद	20
3	सांस्कृतिक अभिरूचि	20
4	संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षु के समग्र प्रशिक्षण के आधार पर दिये जाने वाले अंक	40
	योग	**100**

(ब) निम्नलिखित प्रकार की अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंकों में से ऋणात्मक अंक किए जाएंगे–अधिकतम 40 अंक ऋणात्मक

1. गम्भीर अनुशासनहीनता 25 अंक
2. प्रशिक्षण के दौरान अन्तः/बाह्य कक्षा में विलम्ब से आगमन, अनाधिकृत रूप से

अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश अथवा अवकाश से विलम्ब से वापसी की दशा में 0.5 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम 15 अंक

3. (आदेश कक्ष) अर्दली रूम में दण्ड 10 अंक
4. डिफाल्टर / चेतावनी 05 अंक

नोट– आरक्षी प्रशिक्षुओं को सिक रेस्ट अथवा अस्पताल में दाखिल होने की स्थिति में उक्त अवधि का अवकाश लेना होगा एवं छूटे हुए प्रशिक्षण की अवधि उसी अनुपात में बढ़ जायेगी।

(स) प्रशिक्षण का उद्देश्य अपेक्षित कर्म कौशल के विकास के साथ–साथ पुलिस सेवा के लिये उपयुक्त एवं स्वीकार्य व्यक्तित्व का निर्माण भी है। प्रधानाचार्य / संस्था प्रमुख के मूल्यांकित 100 अंकों में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

32. परीक्षा–

(1)–अन्तः विषयों की परीक्षायें

(क)–प्रशिक्षण की समाप्ति पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से अन्तः विषयों की परीक्षायें, परीक्षा समिति द्वारा आयोजित करायी जायेगी। अन्तः विषयों की परीक्षायें वस्तुनिष्ठ (Objective) होगी। प्रत्येक दिन एक प्रश्न–पत्र की परीक्षा आयोजित होगी।

(ख)–सम्पूर्ण प्रदेश में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं हेतु प्रश्न–पत्र / उत्तर पुस्तिकाएं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुद्रित कराकर ओ0एम0आर0 प्रणाली से मूल्यांकन कराया जायेगा।

(2)–बाह्य विषयों की परीक्षायें–

(1) समस्त बाह्य प्रशिक्षण की परीक्षायें प्रशिक्षण की समाप्ति पर संस्था प्रमुख द्वारा सम्पन्न करायी जायेंगी। इसके लिये पर्याप्त बाह्य परीक्षक बुलाये जायेंगे। बाह्य प्रशिक्षक पुलिस उपाधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे।

(2) निम्नांकित बाह्य विषयों की अन्तिम परीक्षा, प्रशिक्षण की समाप्ति पर उसी समय करा ली जाय। उनमें प्राप्त अंक सील बन्द करके उसी दिन संस्था प्रमुख को प्राप्त करा दिये जायेंगेः–

(1) मोटर साइकिल चलाना एवं रख–रखाव
(2) जंगल प्रशिक्षण (बचाव एवं कार्यवाही संबंधी दो दिवसीय लघु प्रशिक्षण)
(3) खेल तथा जिम
(4) आतंकवाद निरोधक अभियान
(5) डकैती विरोधी अभियान का प्रशिक्षण
(6) विशिष्ट तलाशी अभियान (Special Search Operations)

(3)–न्यूनतम अंक–उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक विषय / प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

(4)– <u>पूरक प्रशिक्षण</u>–

(अ) अन्तः एवं बाह्य विषयों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु आरक्षियों का 06 सप्ताह का पूरक प्रशिक्षण एवं परीक्षा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कराई जायेगी। प्रशिक्षण/परीक्षा उन्हीं विषयों की कराई जायेगी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहे हों।

(ब) परीक्षा में नकल करते हुये पकड़े गये प्रशिक्षु आरक्षियों को उस विषय की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा। यदि इस कदाचरण पर विचारोपरान्त उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया तो उन्हें अनुत्तीर्ण मानते हुए, उसी विषय में पूरक प्रशिक्षण कराने के उपरान्त परीक्षा कराई जायेगी।

(5)–<u>विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी</u>

ऐसे समस्त प्रशिक्षणार्थियों को जो सम्पूर्ण विषयों में प्राप्तांकों के योग में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी (एक्सीलेण्ट कैडेट) घोषित किया जायेगा। विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी घोषित करने में उसके द्वारा प्रशिक्षण की अवधि में किये गये विशिष्ट कार्य तथा पुरस्कार आदि को ध्यान में रखा जायेगा, परन्तु ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिनके संबंध में प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई हो या जिसका आचरण प्रशिक्षण काल में वांछित स्तर का न रहा हो, विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी घोषित नहीं किया जायेगा, भले ही उसने 80 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

(6) प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम का निर्धारण वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार किया जायेगा–

(क) प्राप्तांकों के आधार पर।

(ख) प्राप्तांक एवं जन्मतिथि समान होने पर अन्तःविषयों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले।

(ग) प्राप्तांक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु वाले।

(घ) पूरक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले श्रेष्ठताक्रम में सबसे नीचे रखे जाएंगे।

(7) अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं का 06 सप्ताह का पूरक प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त संबंधित विषयों की पूरक परीक्षा ली जायेगी। इन प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम के नीचे उक्तानुसार क्रमशः निर्धारित किया जायेगा। परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाए, जिससे नकल न होने पाए। परीक्षायें, संस्था प्रमुख की उपस्थिति में पर्याप्त पर्यवेक्षण स्टाफ के साथ संपन्न कराई जाएं।

33. प्रशिक्षुओं को आमद कराते ही आंतरिक एवं बाह्य विषयों का पाठ्यक्रम व सामान्य निर्देश की प्रतियां उपलब्ध करा दी जाये तथा पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें भी डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद तथा आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर, सीतापुर से प्राप्त कर, उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्हें पाठ्य सामग्री का अध्ययन करके एवं पुस्तकालय से संदर्भ देखकर सैद्धान्तिक पक्ष में तैयार होकर कक्षा में आने हेतु प्रेरित किया जाये, जिससे कक्षा कार्यक्रम अधिकाधिक व्यावहारिक विमर्शोन्मुख एवं शंका समाधान का स्थान/माध्यम बन सके। प्रशिक्षुओं को अधिकाधिक शंकाओं/पृच्छायें करने हेतु

प्रोत्साहित किया जाये। प्रत्येक सैद्धान्तिक इनपुट का व्यावहारिक अभ्यास अवश्य कराया जाये।

34. <u>प्रशिक्षण के दौरान शांति–व्यवस्था ड्यूटी</u>

संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की अनुमति के प्रशिक्षुओं को शांति–व्यवस्था ड्यूटी में लगाना पूर्णतः वर्जित होगा क्योंकि इससे प्रशिक्षण प्रभावित होता है।

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

<u>प्रतिलिपिः</u>–पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वह कृपया सर्वसम्बन्धित अधिकारियों/ कार्यालयों को इसकी प्रतियाँ अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

06 माह के संस्थागत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम

परिशिष्ट–1
अन्तःकक्षीय विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम
प्रश्न पत्र–प्रथम

(पुलिस का इतिहास, पुलिस संगठन, अर्न्तविभागीय समन्वय, पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन)

कालाँश–100 **पूर्णांक–100**

1. पुलिस का इतिहास–

(1) भारतीय पुलिस का इतिहास (उ0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में)
(2) जनतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका
(3) पुलिस स्मृति दिवस व शहीद
(4) पुलिस कर्मियों हेतु उपलब्धियाँ तथा पुरस्कार
(5) पुलिस के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ
(6) उ0प्र0 पुलिस में बेस्ट प्रैक्टिसेस (1090, यू0पी0 100, वर्चुअल क्लास)

2. पुलिस संगठन–

(क) केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं शाखायें–

(1) सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF)

बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0, एस0एस0बी0, एन0एस0जी0, एस0पी0जी0

(2) सेन्ट्रल पुलिस आर्गेनाइजेशन (C.P.O.)–

सी0बी0आई0, आई0बी0, आर0ए0डब्लू0, बी0पी0आर0एण्डडी0, एन0आई0ए0, एन0सी0आर0बी, एन0डी0आर0एफ0, एन0सी0बी0, एन0टी0आर0ओ0 (नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन), एन0पी0ए0, सी0एफ0एस0एल0 (नई दिल्ली, चण्डीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद), संदिग्ध अभिलेखों का सरकारी परीक्षण कार्यालय (शिमला, कोलकाता, हैदराबाद)

(ख) उ0प्र0 पुलिस संगठन एवं शाखायें–

(1) उ0प्र0 पुलिस का संगठनात्मक ढाँचा (आरक्षी से पुलिस महानिदेशक), पुलिस के प्रतीक चिन्ह, पदक एवं अलंकरण।

(2) पुलिस महानिदेशक कार्यालय एवं शाखायें

पुलिस महानिदेशक कार्यालय, पुलिस महानिदेशक के सहायक का कार्यालय, कार्मिक कार्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था कार्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना कार्यालय, क्राइम

ब्रान्च कार्यालय, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, सुरक्षा शाखा, मानवाधिकार प्रकोष्ठ, लोक शिकायत, लीगल सैल, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, रेलवे पुलिस, 1090 (Women Power Line), महिला सम्मान प्रकोष्ठ, एस0आई0टी0, यातायात निदेशालय, अग्निशमन सेवायें, पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र (एस0सी0आर0बी0), उ0प्र0 विद्युत निगम, सेन्ट्रल स्टोर कानपुर, सेन्ट्रल रिजर्व सीतापुर, राज्य मोटर परिवहन, यू. पी–100, एस0टी0एफ0, ए0टी0एस0।

(3) <u>जोन कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय</u>

(4) <u>पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिला स्तरीय शाखायें</u>

1–**<u>पुलिस कार्यालय</u>**

प्रधान लिपिक कार्यालय, आंकिक कार्यालय, शिकायत प्रकोष्ठ, डीसीआरबी, विशेष जाँच प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, सम्मन सैल, आई0जी0आर0एस0 सैल, क्राइम ब्रांच, रिट सैल, पैरवी सैल, एफ0आई0आर0 सैल, नियन्त्रण कक्ष, रिपीटर कार्यालय,स्थानीय अभिसूचना इकाई

2–**<u>पुलिस लाइन</u>**

प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय, शस्त्रागार, जी0डी0 कार्यालय, स्टोर कार्यालय, कैश कार्यालय

3–**<u>गोपनीय कार्यालय</u>**

आशुलिपिक कार्यालय, वाचक कार्यालय, सर्विलान्स सैल, पी0आर0ओ0 सैल, एस0ओ0जी0

<u>4–अन्य कार्यालय</u>

अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय

<u>5–थाना, चौकी एवं बीट</u>– कार्य एवं प्रकार, कार्य वितरण, रोलकॉल एवं ड्यूटी रोस्टर

(5) <u>अन्य राज्य स्तरीय शाखायें</u>

अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 होमगार्ड्स मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, सी0बी0सी0आई0डी0 मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय, प्रशिक्षण निदेशालय, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, तकनीकी सेवायें (विधि विज्ञान प्रयोगशाला/फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो), पी0ए0सी0 मुख्यालय

<u>नोटः</u>

उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु आरक्षियों को केन्द्रीय पुलिस बलों का सामान्य ज्ञान एवं राज्य पुलिस संगठन का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जायें।

3. <u>अन्तः विभागीय समन्वयः–</u>

(क) अपराधिक न्याय व्यवस्था की विभिन्न शाखायें

(ख)
(1) राजस्व विभाग
(2) विकास विभाग
(3) पंचायती राज संस्थायें/स्थानीय निकाय
(4) परिवहन विभाग
(5) वन विभाग
(6) खनन विभाग
(7) विद्युत विभाग
(8) आपूर्ति विभाग
(9) शिक्षा विभाग
(10) चिकित्सा विभाग
(11) कारागार विभाग
(12) आबकारी विभाग

(ग) 1–भू–अभिलेख एवं पैमाइश–भूमि क्षेत्रफल प्रणाली (बीघा–विभिन्न प्रकार के बीघे एकड़/हेक्टेयर)–विशेषज्ञ व्याख्यान
2–तहसील दिवस, थाना दिवस तथा श्रावस्ती मॉडल का सामान्य ज्ञान

4. <u>पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन–</u>

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली– 2008 एवं 2015
(2) उ0प्र0 पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 (महत्वपूर्ण प्रस्तर)
(3) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 (सामान्य परिचय)
(4) अपेक्षित शिष्टाचार तथा विभागीय गोपनीयता
(5) सेवाभिलेख–चरित्र पंजिका, सेवा–पुस्तिका
(6) ज्वाईनिंग, आमद एवं रवानगी के नियम तथा समस्याओं हेतु आवेदन
(7) वर्दी पहनने के नियम (ड्रैस रेगुलेशन)
(8) नियुक्ति, स्थानान्तरण, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता
(9) आवासीय सुविधायें–सरकारी मकान आवंटन/मरम्मत/रख–रखाव के दायित्व
(10) चिकित्सीय सुविधा, अवकाश के नियम, अनुमन्य विभिन्न प्रकार के अवकाश
(11) सेवानिवृत्ति– अधिवर्षता, स्वैच्छिक एवं अनिवार्य, शारीरिक अक्षमता के समय मिलने वाली सुविधायें
(12) सेवाकाल में कर्त्तव्यपालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ एवं असाधारण पेंशन के नियम 07, 08, 09, 10
(13) आरक्षी के कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ

प्रश्न पत्र–द्वितीय
पुलिस विज्ञान–प्रथम
(अपराध नियंत्रण, विवेचना, अभियोजन एवं पुलिस रेगुलेशन)

कालाँश–115 **पूर्णांक–125**

1–अपराध नियन्त्रण

1– बीट एवं गश्त व्यवस्था का परिचय।
2– अपराध निरोध में बीट व्यवस्था की भूमिका।
3– बीट बुक एवं उसका रख–रखाव।
- ➢ बीट कर्त्तव्य–दिन व रात्रि में।
- ➢ बीट कर्त्तव्य–शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में।
- ➢ बीट से वापसी के उपरान्त की जाने वाली प्रक्रियायें

4– गश्त के प्रकार, नियम व उपयोगिता।
5– ग्राम सुरक्षा समितियाँ एवं मोहल्ला सुरक्षा समिति का महत्व एवं उपयोगिता।
6– सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों/लाईसेन्सी शस्त्र धारकों की सहायता प्राप्त करना तथा चौकीदारों से सहयोग प्राप्त करना।
7– दुश्चरित्र व्यक्तियों की जाँच एवं निगरानी एवं फ्लाईशीट भरना।
8– अजनबियों एवं दुश्ट चरित्र व्यक्तियों की नामावली तैयार करना।
9– अभिसूचना संकलन में आरक्षी की भूमिका।
10– अभिसूचना संकलन, भण्डारण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं निर्णय के तरीके, मुखबिरों (स्रोतों) को विकसित करना।
11– गतिशील चेकपोस्ट/नाकाबन्दी ड्यूटी।
12– अजनबियों/संदिग्धों से पूछतांछ तथा पूछतांछ का उचित एवं वैज्ञानिक तरीका।

2–विवेचना

1– प्रथम सूचना रिपोर्ट, ध्यान देने योग्य तथ्य (धारा 154, 155, द0प्र0सं0)।
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाते समय बरती जाने वाली सावधानी के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ

- ➢ **ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य रिट याचिका संख्या (क्रिमिनल) 68/2008** मान0 उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि कुछ अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है।
- ➢ रिट पिटीशन संख्या–10792/2015 श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर), रिट पिटीशन संख्या–10756/2015 श्रीमती शाहिदा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 08 अन्य (जनपद–सहारनपुर) तथा प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 2028पी छः–पु0–3–13(13)पी/15 दिनांकः 23.07.2015 के पत्र में अंकित रूपराम बनाम राज्य।

2– विवेचक के सहयोगी के रूप में आरक्षी के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व
3– विवेचना का अभिप्राय, अन्तिम रिपोर्ट (एफ0आर0, सी0एस0)
4– अभियुक्त के अधिकार। (डी0के0 बसु)
5– अपराध घटना स्थल का अनुक्रम (SEQUENCE) तथा अपराध घटना स्थल को सुरक्षित एवं संरक्षित करना।
6– चोट ग्रस्त/पीड़ित व्यक्ति के साथ बर्ताव।
7– गिरफ्तारी कैसे सम्पन्न की जाये (क्रियात्मक अंश)– आज्ञापरक/प्रतिरोधी/आक्रामक व्यक्ति की गिरफ्तारी सम्पन्न किया जाना, किसी व्यक्ति के पास पहुंचने का तरीका, जामा तलाशी के नियम, हथकड़ियों का प्रयोग कैसे करें।
8– गिरफ्तारी/तलाशी मैमो तैयार करना।
9– निरोधात्मक कार्यवाही के प्रकार एवं अपराध नियन्त्रण में उनका महत्व।
10– सम्मन तामील करना एवं वारण्ट का निष्पादन करना।
11– अभियुक्त को सुरक्षित ले जाना एवं न्यायालय में प्रस्तुत करना।
12– अपेक्षित कागजी कार्यवाही सहित प्रदर्शों की पैकिंग, लेबलिंग व हैण्डलिंग किया जाना।
13– शव परीक्षण हेतु मृत शरीर को अस्पताल/मुर्दाघर ले जाना।
14– कार्यप्रणाली वर्गीकरण (Modus operandi)
15– विवेचना के दौरान पुलिस मुठभेड़ में मारे गये व्यक्ति की विवेचना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ–**पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य** पुलिस एन्काउन्टर में मृत्यु एवं गंभीर चोटों के प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा–निर्देश।

3–अभियोजन

1. अभियोजन का तात्पर्य एवं महत्व।
2. जनपदीय न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायालयों की शक्तियाँ।
3. अभियोगों की पैरवी में आरक्षी का योगदान।
4. रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया में आरक्षी का योगदान।
5. पैरोल एवं परीवीक्षा की विधि तथा छूटे हुये व्यक्तियों की निगरानी।

4–पुलिस रेगुलेशन

क्र. सं.	विषय	प्रस्तावित पाठ्यक्रम
1	अध्याय 1– अधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य–वरिष्ठ अधिकारीगण	पैरा 1 से 17
2	अध्याय 5– सिविल पुलिस के सब इन्सपेक्टर और उनसे नीचे के पदाधिकारी, पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी	पैरा 43, 44, 61, 62, 63, 64, 65

3	अध्याय 10– थाने मे की गयी सूचनाएं	पैरा 97 से 103
4	अध्याय 12– पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार	पैरा 129 से 131, 133 से 135, 137, 139, 143 से 146
5	अध्याय 13– निग्रह करना, जमानत तथा अभिरक्षा में रखना	पैरा 147 से 155, 159 से 164
6	अध्याय 15– विशेष अपराध	धारा 174 से 178
7	अध्याय 17– पेट्रोल और पिकेट्स (गश्त तथा नाकाबन्दी)	पैरा 190 से 194
8	अध्याय 19– फरार अपराधी	पैरा 215 से 222
9	अध्याय 20– दुराचारियों के नाम रजिस्टर में अंकित करना और उनकी निगरानी	पैरा 223 से 275
10	अध्याय 22– अभिलेख और गोपनीयता दस्तावेज	अभिलेख और गोपनीयता दस्तावेज

नोटः क्र0सं0 09 से संबंधित केस लॉ–

खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (ए0आई0आर0 1963 मा0 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 1925) बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र पर्यवेक्षण के नाम पर किसी व्यक्ति के घर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहाँ जाकर उसकी उपस्थिति दर्ज करना स्पष्टतया उस व्यक्ति के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है।

प्रश्नपत्र–तृतीय
पुलिस विज्ञान द्वितीय
(सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन, यातायात नियन्त्रण, पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार, गार्ड ड्यूटी, बन्दी एस्कोर्ट, हवालात ड्यूटी)

कालाँश–110 **पूर्णांक–125**

1–सुरक्षा

(क) सामान्य सुरक्षा

1– सुरक्षा परिदृश्य का परिचय, आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ।
2– सन्देहजनक वस्तुओं को पहचानना एवं अनुवर्ती कार्यवाही।
3– संतरी एवं गार्द के कर्त्तव्य एवं पुलिस थाने व कैम्प की सुरक्षा।
4– वाहन की तलाशी (बाह्य कक्षीय प्रदर्शन एवं व्यावहारिक प्रयोग के साथ सामन्जस्य सहित), गुजरते हुये वाहनों एवं वस्तुओं का अवलोकन करना (व्याख्यान एवं अवलोकन के अभ्यास)

5– अपराधियों के विरूद्ध दबिश व तलाशी के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानियाँ–उचित रणकौशल।

6– आत्मसुरक्षा–उपकरण (बी0पी0 जैकेट, हैडगेयर आदि), फायरिंग रेंज।

(ख) वी0आई0पी0 सुरक्षा–

1– वी0आई0पी0 सुरक्षा का महत्व व उद्देश्य।

2– विभिन्न प्रकार के हमले व उनसे सुरक्षा।

3– कार्यक्रम स्थल, रास्तों, रूकने के स्थान पर, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मानक/एक्स0, वाई0, जेड सुरक्षा श्रेणियाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य।

4– प्रवेश नियन्त्रण, एन्टी सैबोटाज चैक, सुरक्षा उपकरणों जैसे डीएफएमडी, एचएचएमडी, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, इन्वर्टिड मिरर आदि का प्रयोग (हैण्डलिंग)।

5– कॉनवॉय ड्यूटी।

6– पी.एस.ओ. ड्यूटी।

(ग) महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा–

1– महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का महत्व एवं उद्देश्य।

2– दुश्मन के तौर तरीकों का ज्ञान।

3– हवाई अड्डे, वायुयान, रेलवे, औद्योगिक संस्थान, सार्वजनिक महत्व के भवन एवं सीमायें।

4– पोस्ट प्रोटैक्शन ड्रिल।

(घ) विस्फोटकों का परिचय, प्रकार

1– विस्फोटकों का परिचय, प्रकार एवं उनके लक्षणों की पहचान (व्याख्यात्मक प्रदर्शन)।

2– डिटोनेटर, इसके प्रकार एवं पहचान (व्याख्यात्मक प्रदर्शन)।

3– विस्फोटकों को पहचान लेने के पश्चात् सावधानियाँ एवं सुरक्षात्मक कार्यवाही।

4– नियन्त्रण यंत्र विन्यास (कमाण्ड मैकेनिज्म)–तार, रिमोट कन्ट्रोल, टाईमर, दबाव, प्रकाश आदि (व्याख्यात्मक प्रदर्शन)।

5– आत्मघाती हमला/फिदाइन अटैक।

2–लोक व्यवस्था एवं बन्दोबस्त–

(क) लोक व्यवस्था

1–जन सहभागिता–

- लोक व्यवस्था निर्माण में आरक्षी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व।
- लोक व्यवस्था बनाये रखने में जनता की भागीदारी, आवश्यकता एवं महत्व।

2–आतकंवादी, साम्प्रदायिक एवं अन्य हिंसा–

- आतंकवादी घटनाओं में पुलिस का उत्तरदायित्व।

- साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस ड्यूटी–कर्त्तव्य एवं सावधानियाँ।
- हिंसक आन्दोलन, लोक जमाव/गोष्ठियाँ, विधि विरूद्ध जमाव (राजनैतिक, जातिगत, विद्यार्थी वर्ग, आदि के विवादों) पर नियन्त्रण।
- औद्योगिक एवं मजदूर वर्ग के विवादों के समय पुलिस व्यवस्था (बन्द, हड़ताल व प्रदर्शन) आदि।

3–भीड़ नियन्त्रण–

- भीड़ के प्रकार, मनोविज्ञान व व्यवहार।
- भीड़ नियन्त्रण की रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता।
- विभिन्न प्रकार की भीड़ व पुलिस बर्ताव विशेषकर उत्तेजित महिलाओं एवं बालकों से बर्ताव।

4–पुलिस अनुक्रिया (Police Response)

- शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्यवाही।
- आशंकित खतरे की रोकथाम हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही।
- हिंसक आन्दोलन अथवा जमाव को तितर–बितर करने के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधान।
- न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धान्त, जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है।
- दंगा नियन्त्रण योजना का ज्ञान एवं कार्यवाही।

(ख) बन्दोबस्त ड्यूटियाँ–

(1) मेला ड्यूटी–

- मेला क्षेत्रों में कान्स ना0पु0/सशस्त्र पुलिस एवं पी0ए0सी0 की नियुक्ति–कर्त्तव्य एवं दायित्व।
- यातायात, घुड़सवार, अग्निशमन पुलिस, संचार, वॉच टावर, पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था।
- अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त ड्यूटी एवं अभिसूचना संकलन हेतु विभिन्न स्रोतों का उपयोग।
- कुम्भ मेला 2013 के दौरान भगदड़ की केस स्टडी।

(2) त्यौहार ड्यूटी–

- त्यौहारों का प्रबन्ध व पुलिस की भूमिका।
- त्यौहारों पर कान्स0 ना0पु0/सशस्त्र पुलिस, पी0ए0सी0 की नियुक्ति–कर्त्तव्य एवं आचरण।
- संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी के दौरान सावधानियाँ तथा यातायात व्यवस्था करना।
- शान्ति भंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(3) चुनाव ड्यूटी–

- मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शांतिपूर्वक मतदान करने का वातावरण

प्रदान करना तथा अपने व्यवहार में निष्पक्षता रखना।

- बैलेट बॉक्स, वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना।
- मतगणना के समय ड्यूटी।
- चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूसों के समय शान्ति व्यवस्था ड्यूटी।

(4) सामान्य ड्यूटी

- पिकेट–आवश्यकता, प्रकार, एवं गार्द से भिन्नता।
- बाजारों में पिकेट व नाकाबन्दी।

3–आपदा प्रबन्धन

- आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका।
- आपदा प्रबन्धन की जिला स्तरीय योजनायें।
- आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में अन्य विभागों से समन्वय।
- आपदा प्रबन्धन में गैरसरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) की भूमिका।
- बचाव एवं राहत की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, सामान्य तकनीकी, विभिन्न चरण, महत्ता, विभिन्न उपकरण, कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।
- बाढ़ राहत कार्य में पुलिस एवं पी0ए0सी0 की भूमिका।
- अन्य आपदायें/बड़ी दुर्घटनायें–विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।
- सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व।
- आग की घटनायें–अग्निशमन/बचाव कार्य।
- गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही।
- मॉक ड्रिल।
- **आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act 2005)**
- **राज्य आपदा मोचन बल (S.D.R.F.) (State Disaster Response Force)**

4–यातायात नियन्त्रण–

- मोटर व्हीकल एक्ट (M.V ACT) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध (सूक्ष्म सारांश)
- यातायात पुलिस संगठन एवं कार्य/कर्त्तव्य।
- यातायात नियन्त्रण की युक्तियाँ एवं उपकरण एवं उनका प्रयोग।
- सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 में सडक दुर्घटना के कारण।
- यातायात चिन्ह एवं संकेत।
- यातायात उल्लंघन एवं चालान की प्रक्रिया।

- क्रासिंग पर यातायात विनियमित करना।
- दुर्घटना स्थल पर पहरा देना, विधि साक्ष्य जैसे स्किड मार्क्स की सुरक्षा करना और यातायात दिशा परिवर्तन करना।
- दुर्घटना पीड़ितों का बचाव, प्राथमिक चिकित्सा देना एवं अस्पताल तक ले जाना।
- यातायात जाम के समय कर्त्तव्य।
- वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैश/बत्ती तथा हूटर व साइरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की जानकारी।
- कार्यक्रम स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था संबंधी ज्ञान।
- छात्र/छात्राओं को ले जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियाँ।
- संदिग्ध व्यक्तियों/अपराधियों का पीछा करते समय सावधानियाँ।

5–पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली–

- रेडियो दूरसंचार प्रणाली का परिचय–क्या करें, क्या न करें।
- पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली–वी0एच0एफ0, रिपीटर, यू0एच0एफ0 संचार प्रणाली, एच0एफ0, पोलनेट।
- रेडियो संदेश बनाना, लिखना, संदेशों का वर्गीकरण एवं इनकी प्राथमिकताएं।
- वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग, सामान्य खराबियाँ एवं उनका निराकरण।
- हैण्ड हेल्ड, स्टैटिक मोबाईल, वायरलैस सेट पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान।
- सी0सी0आर0, डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली एवं कन्ट्रोल रूम का विस्तृत ज्ञान।
- काल साइन का परिचय।

6– गार्ड ड्यूटी, बन्दी एस्कोर्ट, हवालात ड्यूटी–

1– गार्ड एवं एस्कोर्ट रूल्स नियम– नियम संख्या–7 से 10, 12, 14, 15, 17 से 19, 21, 22, 24, 32, 37, 62, 76, 106, 153, 163, 185, 194, 196, 197।

2– पुलिस स्टेशन ड्यूटी, संतरी ड्यूटी, टेलीफोन ड्यूटी, वॉयरलैस ड्यूटी, रिसेप्शन ड्यूटी तथा शिकायतों की प्राप्ति, मैसेंजर ड्यूटी, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, जाँच तथा सत्यापन के दौरान कथन अंकित करना, कोर्ट सहायक ड्यूटी, पुलिस स्टेशन पर त्वरित कार्यकारी दल, रजिस्टर और अभिलेखों का रख–रखाव, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ड्यूटी (हमराह)।

प्रश्न पत्र–चतुर्थ
(भारतीय संविधान, मानवाधिकार एवं लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस आचरण, व्यवहार एवं संवाद कौशल)

कालांश–110 **पूर्णांक–125**

1– भारतीय संविधान

S. सं.	विषय	प्रस्तावित पाठ्यक्रम
1	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें
2	मौलिक अधिकार	अनुच्छेद 21, 32, 226
3	पुलिस के अधिकारों पर निर्बन्धन	अनुच्छेद 311
4	मूल कर्त्तव्य	अनुच्छेद 51ए
5	जनहित याचिका	उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय
6	मा0 सांसद, विधायक, न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार	मा0 सांसद, विधायक, न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

नोटः

उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु रिक्रूट आरक्षी, पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के सम्बन्ध में संवैधानिक प्राविधानों की सामान्य जानकारी को ढंग से समझने में समर्थ हो।

2–मानवाधिकार

1. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग–कार्य एवं शक्तियाँ।
2. मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उसका महत्व, संवैधानिक प्राविधान व महत्वपूर्ण केस लॉ
   - **महबूब बाचा बनाम राज्य द्वारा पुलिस अधीक्षक 2011 (74) एसीसी, 600 (एससी)** इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि अभिरक्षा में मौत (Custody death) सभ्य समाज का सबसे घृणित अपराध है, इसे रोका जाना चाहिए तथा देश के सभी राज्यों के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशकों को अभिरक्षा में होने वाली मौतों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिये हैं।
   - **खेड़त मजदूर चेतन संगठन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए0आई0आर0 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ)** पुलिस का कर्त्तव्य अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों की सुरक्षा करना है न कि यातना देना।
3. मानवाधिकार के संरक्षण व संवर्धन में पुलिस की भूमिका।

4. पुलिस उपसंस्कृति (Police Sub-Culture)

- वर्षों पुरानी रूढ़ियां

- पीडितों से दुर्व्यवहार
- भ्रष्टाचार
- खराब टर्न–आउट
- अवैध निरूद्धि (Illegal Detention)
- प्रताड़ना एवं थर्ड डिग्री
- पुलिस अभिरक्षा में हिंसा एवं बलात्कार
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु
- फर्जी मुठभेड़
- पुलिस शक्तियों का दुरूपयोग

5. मानवाधिकार एवं अपराध पीड़ित परिवार, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक विभागीय निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय।
   ए– दिलीप कुमार बसु बनाम प0बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642
   बी– जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य 1994 सीआरएलजे 1981 गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं।
6. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार व उनके संरक्षण में पुलिस की भूमिका।
7. शिकायतकर्ताओं एवं अपराधों के भुक्त भोगियों, संदिग्धों, गिरफ्तार व्यक्तियों विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों के साथ व्यवहार के संबंध में विभागीय निर्देश और न्यायिक मार्गदर्शक बिन्दु।
8. गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के अधिकार एवं हथकड़ियों के उपयोग के संबंध में विभागीय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन।
   सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099 सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743 इन विधि व्यवस्थाओं में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।

3–बाल संरक्षण एवं लैंगिक संवेदनशीलता–

1. लैंगिक संवेदनशीलता से आशय एवं उसका महत्व।
2. महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध–पुलिस की भूमिका।
3. पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण व कानूनी दृष्टि से अपेक्षित व्यवहार।
4. पुलिस थाना स्तर पर पीड़ित महिलाओं के प्रति पुलिस का आचरण एवं व्यवहार।
5. विभिन्न अपराधों एवं अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से साक्षात्कार की विधियाँ।
6. महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका तथा महिला पुलिस कर्मियों से व्यवहार।
7. महिला अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में न्यायिक प्राविधान।
8. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं उपचार) अधि0 2013।
9. बाल अधिकार संरक्षण एवं संवेदनशीलता
   (क) बालकों के प्रति संवेदनशील व मित्रवत् व्यवहार कैसे करें ?

(ख) बाल संरक्षण से संबंधित प्रमुख अधिनियम व नियमावली–

- बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005
- किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, यथा संशोधित 2006
- किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियम 2007
- किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015
- किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) माडल नियम 2016

(ग) रिट याचिका सिविल 473/2005 सम्पूर्ण बेहुरा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँकः 09.02.2018, बाल अपराधों को रोकने एवं उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।

(घ) ''आपरेशन स्माईल'' – एक केस स्टडी।

4. पुलिस आचरण, व्यवहार एवं संवाद कौशल–

(क)–पुलिस आचरण

1. पुलिस आचरण के सिद्धान्त, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता एवं पक्षपात
2. पुलिस मनोवृत्ति, जनोन्मुखता, सेवोन्मुखता एवं व्यवसायिकता
3. पुलिस छवि एवं इसे सुधारने के तरीके
4. सामाजिक संवेदना निर्माण (Empathy and Sympathy)
5. पुलिस कार्य में नैतिकता
6. पुलिस का जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार
7. बीट ड्यूटी के समय व अन्य अवसर पर नागरिक/जनता के साथ व्यवहार
8. बुद्धिजीवी, मजिस्ट्रेट, वकील एवं जेल स्टाफ के साथ व्यवहार
9. पत्रकारों के साथ व्यवहार
10. छात्रों एवं युवा वर्ग के साथ व्यवहार
11. गवाहों के साथ व्यवहार
12. अपराध पीड़ित के साथ व्यवहार
13. विवाद के समय व्यवहार
14. दुराचारी के साथ व्यवहार
15. पुलिस थाने पर शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार
16. यातायात उल्लंघन करने वालों के साथ व्यवहार
17. मजदूरों के साथ, अपरिपक्व, दिव्यांग एवं असहाय व्यक्तियों के साथ व्यवहार।
18. पुलिस का पर्यटकों से सहयोगात्मक/मधुर व्यवहार–आवश्यकता एवं महत्व।
19. पुलिस का महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार।
20. होमगार्ड एवं ग्राम चौकीदारों के साथ व्यवहार।
21. मृतकों/अज्ञात शवों के प्रति सम्मान का आचरण।
22. पुलिस का स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों से संबंध एवं तालमेल।

23.कम्यूनिटी पुलिसिंग (सामुदायिक पुलिसिंग)– आवश्यकता, महत्व

24.लोक व्यवहार की कला (Art of Public Behaviour)

(ख) संवाद एवं अन्य कौशल विकास

1. अवलोकन कौशल (Observation Skill)
2. संवाद/बोलने का कौशल (Oral Communication Skill)
3. प्रेरणा एवं प्रेरणा कौशल (Motivation & Skill)
4. श्रवण कौशल (Listening Skill)
5. लेखन कौशल (Writing Skill)/पुलिस में व्यवहृत सामान्य शब्दावली
6. समय प्रबन्धन (Time Management)
7. तनाव प्रबन्धन (Stress Management)
8. टीम भावना प्रबन्धन (Team Building Management)

नोटः

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है, कि प्रशिक्षु आरक्षियों में सेवोन्मुखी अभिवृत्ति विकसित की जाये। प्रशिक्षण में केस स्टडीज एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया जाये। इसके लिए विशेषज्ञों के द्वारा कैप्सूल कोर्स चलाये जाने चाहिये, जिसमें लैगिंक सवेंदनशीलता, जाति व समुदाय के विवाद व पुलिस की भूमिका, स्वास्थ्य, अपराध पीड़ित से व्यवहार, जनता से व्यवहार, एन0जी0ओ0 से सम्बन्ध, जेल व न्यायालय का भ्रमण, वृद्धाश्रम भ्रमण, महिला आश्रम/संवासिनी गृह भ्रमण, बाल सुधार गृह भ्रमण, अस्पताल/मोर्चरी भ्रमण हो।

प्रश्न पत्र–पंचम

अपराध विधि–(भा.दं.वि./दं.प्र.सं./भारतीय साक्ष्य अधिनियम)

कालाँश–115 **पूर्णांक–125**

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

क्र. सं.	विषय	प्रस्तावित पाठ्यक्रम
1	परिचय एवं परिभाषा	धारा 21, 34
2	साधारण अपवाद	धारा 76
3	प्राइवेट रक्षा का अधिकार	धारा 96 से 106
4	आपराधिक षड़यन्त्र	धारा 120ए, 120बी
5	लोक प्रशान्ति के विरूद्ध अपराध	धारा 141 से 149, 151, 153ए 159, 160, 166
6	मिथ्या साक्ष्य, लोक न्याय के विरूद्ध अपराध	धारा 216, 216ए , 222, 223, 224, 228ए
7	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध	धारा 268, 292 से 294
8	धर्म से संबंधित अपराध	धारा 295, 295ए

9	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध आपराधिक मानव वध, हत्या आदि	धारा 299, 300, 302, 304, 304ए, 304बी, 306, 307, 308
10	उपहति एवं संबंधित अपराध	धारा 323 से 326, 326ए, 326बी, 328, 330, 332, 333
11	सदोष परिरोध	धारा 339 से 342
12	आपराधिक बल एवं हमला	धारा 354, 354ए,बी,सी,डी, 356
13	व्यपहरण एवं अपहरण	धारा 359 से 366, 366ए
14	यौन अपराध	धारा 375, 376, 376ए से ई तक, 377
15	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध, उद्दयापन, लूट एवं डकैती	धारा 378 से 380, 383,384,390 से 394, 395, 396
16	आपराधिक न्यासभंग	धारा 406 से 409
17	चोरी की सम्पत्ति	धारा 410, 411, 412
18	छल	धारा 419, 420
19	रिष्टि	धारा 435, 436
20	कूटकरण	धारा 489ए से 489ई तक
21	पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	धारा 498, 498ए
22	आपराधिक अभित्रास, अपमान	धारा 504, 506
23	अपराध कारित करने के प्रयास	धारा 511

- **प्रशिक्षुओं को संशोधित धाराओं की यथासमय अपेक्षित जानकारी विषय अध्यापकों द्वारा दी जायेगी।**

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973

क्र. सं.	विषय	प्रस्तावित पाठ्यक्रम
1	वरिष्ठ अधि0 की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट की सहायता	धारा 36, 37 से 40
2	व्यक्ति की गिरफ्तारी	धारा 41, 41ए, 41बी, 41सी, 41डी, 42, 46, 50ए, 57
3	सम्मन	धारा 61 से 69 तक
4	वारंट एवं उद्घोषणायें	धारा 70, 71, 82, 83
5	तलाशी से संबंधित सामान्य प्रावधान	धारा 100, 102
6	शांति बनाये रखने हेतु प्रतिभूति	धारा 106 से 110, 116
7	लोक व्यवस्था का रख–रखाव	धारा 129 से 131 तक

8	लोक न्यूसेन्स	धारा 144
9	भूमि एवं जल से संबंधित विवाद के समय प्रक्रिया	धारा 145
10	पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही	धारा 149 से 151
11	धारा	धारा 161, 164
12	पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियाँ	धारा 167, 173, 174, 176

- **प्रशिक्षुओं को संशोधित धाराओं की यथासमय अपेक्षित जानकारी विषय अध्यापकों द्वारा दी जायेगी।**

नोटः बिन्दु संख्याः 3 से संबंधित महत्वपूर्ण केस लॉ (गिरफ्तारी)

क्र **शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य 2011 (75) एसीसी 763 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)** इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि 7 वर्ष तक की सजा के अपराधों में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 41 में दर्शाये गये आधारों का अनुपालन करना चाहिए।

क्र **अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2014) 8 एससीसी 273** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए विस्तृत दिशा–निर्देश।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

क्र. सं.	विषय	प्रस्तावित पाठ्यक्रम
1	परिचय एवं परिभाषा	धारा 3
2	स्वीकृति एवं संस्वीकृति	धारा 17, 25, 26, 27
3	मृत्युकालिक कथन	धारा 32, 32(1)
4	स्मृति ताजा करना	धारा 159

- **प्रशिक्षुओं को धाराओं में नवीन संशोधनों की अपेक्षित जानकारी यथासमय विषय अध्यापकों द्वारा दी जायेगी।**

प्रश्न पत्र–षष्टम

विविध अधिनियम

कालाँश–100 **पूर्णांक–100**

केन्द्रीय विविध अधिनियम

क्र. सं.	विषय	प्रस्तावित पाठ्यक्रम
1	पुलिस अधिनियम 1861 महत्वपूर्ण धारायें	धारा 31, 34
2	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966	धारा 3
3	आयुध अधिनियम 1959 महत्वपूर्ण धारायें	धारा 3, 4, 19, 20, 40
4	भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1984	धारा 9बी
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908	धारा 5
6	भ्रष्टाचार (निवारण) अधिनियम 1988	धारा 7 व 13
7	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम 1989	धारा 3 व 4
8	विद्युत अधिनियम 2003	धारा 135, 138
9	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986	धारा 2, 3, 4
10	स्वापक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	धारा 8, 15 से 22, 27, 50
11	किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 महत्वपूर्ण धारायें–(विचारण सम्बन्धी)	धारा 2(ट), 10, 63, 75
12	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960	धारा 2,11
	याचिका संख्या–एस–881/2014 गौरी मौलेखी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः13.07.2015	
13	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867	धारा 3, 4, 13,
14	अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956	धारा 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15
15	लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984	धारा 3 व 4
16	मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित)	धारा 177 से 179, 181, 183 से 187, 190, 192, 194, 196, 197, 200, 207

17	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (सामान्य परिचय)	–
18	लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (महत्वपूर्ण धारायें)	धारा 3 से 12 तक
19	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972	धारा 50, 51, 55
20	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922	धारा 3
21	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA	–

राज्य के अधिनियम

स. सं.	विषय	प्रस्तावित पाठ्यक्रम
1	उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1986	धारा 2, 3, 19
2	उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970	धारा 3, 10
3	उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910	धारा 60, 60(2) नवीनतम सशोधनों के साथ
4	उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955	धारा 3, 5, 5क, 8
5	उ0प्र0 वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	धारा 4 व 10
6	उ0प्र0 विद्युत तार एवं ट्रांसफार्मर चोरी का निवारण तथा दण्ड अधिनियम 1976	धारा 1, 3, 5, 6

नोट :–प्रशिक्षुओं को धाराओं में नवीन संशोधनों की अपेक्षित जानकारी यथासमय विषय अध्यापकों द्वारा दी जायेगी।

प्रश्न पत्र– सप्तम्
कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम

कालाँश–50 **पूर्णांक–50**

क–कम्प्यूटर साइंस

1. कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय– सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण, जैसे पेन ड्राइव, हार्डडिश आदि।
2. इन्टरनेट का उपयोग, एम0एस0 आफिस का व्यवहारिक परिचय, एम0एस0 पॉवर प्वाइंट, एम0एस0 एक्सिल का व्यवहारिक परिचय।
3. पोर्टेट बिल्डिंग सिस्टम का परिचय एवं स्कैच।
4. ई–मेल एकाउंट बनाना, ई–मेल भेजना/प्राप्त करना/फाइल डाउनलोड

करना।

5. कम्प्यूटर एवं नेटवर्क फोरेन्सिक्स – सामान्य जानकारी।
6. इलैक्ट्रॉनिक निगरानी तकनीकियाँ, आई0पी0 कैमरा, सेटेलाइट छवियाँ, जी0आई0एस0 / जीपीएस, आर.एफ.आई.डी. तकनीक।

<u>ख– साइबर क्राइम–</u>

1. कम्प्यूटर संबंधी अपराध, प्रकृति एवं प्रकार।
2. साइबर सुरक्षा का तात्पर्य एवं सामान्य विधियाँ।
3. इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का अभियोजन में महत्व एवं संकलन की विधि।
4. सी0सी0टी0एन0एस0 का तात्पर्य एवं अपराध नियन्त्रण में उपयोगिता।
    - रजिस्ट्रेशन माड्यूल (Registration Module)
    - जी0डी0 रजिस्ट्रेशन (GD Registration)
    - एफ0आई0आर0 रजिस्ट्रेशन (FIR Registration)
    - एन0सी0आर0 रजिस्ट्रेशन (NCR Registration)
        a. कम्पलेन्ट रजिस्ट्रेशन (Complaint Registration)
        b. मिसिंग पर्सन (Missing Person)
        c. मिसिंग कैटिल रजिस्ट्रेशन (Missing Cattle Registration)
        d. अनएडैन्टिफाईड डैड बॉडी (Unidentified Dead Body)
        e. अनक्लेम्ड एबानडिड प्रापर्टी (Unclaimed abandoned property)

1. डाटा बैंक माड्यूल (Data Bank Module)
    a. व्हीकल थैफ्ट (Vehicle Theft)
2. सिटीजन सर्विस माड्यूल (Citizen Services Module)
3. एक्सटैन्शन माड्यूल (Extension Module)
5. उ0प्र0 पुलिस बेवसाइड का परिचय
6. पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज / साफ्टवेयर।
    - गुमशुदा व्यक्ति (Missing Persons)
    - गुमशुदा बच्चों की तलाश (Track the Missing child)
    - लावारिस शव (Unidentified Bodies)
    - चुराये गये वाहनों की खोज (Stolen Vehicle Query) (NCRB)
7. सी0सी0टी0वी0 कैमरों के प्रकार एवं पुलिस में उपयोगिता
8. पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं ड्रोन कैमरे की जानकारी
9. पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन
10. सोशल मीडिया–ट्विटर, वाट्सअप, मैसेंजर, फेसबुक आदि।
11. सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलने से रोकने के उपाय।
12. Information Technology Act (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000)

प्रश्न पत्र–अष्टम्

विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा शास्त्र, प्राथमिक उपचार

कालाँश–50 **पूर्णांक–50**

क–विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइंस)

1. अपराध के घटनास्थल को सुरक्षित रखना।
2. भौतिक साक्ष्यों का एकत्रण, घटनास्थल से विभिन्न पदार्थों का उठाना व पैक करना।
3. भौतिक साक्ष्य के सम्बन्ध में लोकार्डो का सिद्धान्त एवं उसका महत्व।
4. वादों की विवेचना में विधि विज्ञान का महत्व।
5. सुरा, एल्कोहल, टोडी, स्वापक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ।
6. ड्रग डिटेक्शन किट से मादक पदार्थों की पहचान।
7. जहरखुरानी के अपराधों में प्रयोग में लाई जाने वाली दवाईयाँ।
8. डी0एन0ए0 प्रोफाइल का तात्पर्य एवं उसका महत्व।

ख–विधि चिकित्सा शास्त्र (फोरेन्सिक मेडिसन)

1. पुलिस के लिये विधि चिकित्साशास्त्र का परिचय, महत्व।
2. मेडिको लीगल दृष्टि से घटनास्थल का निरीक्षण एवं विधि चिकित्सीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण।
3. शारीरिक लक्षणों से व्यक्ति की पहचान, आयु निर्धारित करने की विधि।
4. चोटों के प्रकार–आग्नेयास्त्र, तीव्र धारदार अथवा नुकीले हथियार, विस्फोट, दाह, द्रवदाह एवं यन्त्र द्वारा।
5. मृत्यु से पूर्व एवं मृत्यु के बाद आयी चोटों का ज्ञान। मृत्यु के समय का निरीक्षण करना तथा मृत व्यक्तियों की पहचान।
6. जमीन में दबे मृतकों को निकलवाना ।
7. विधि चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण–हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, स्वाभाविक (प्राकृतिक मृत्यु)।
8. मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण–दम घुटने से मृत्यु, डूबकर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वांसावरोध (थ्रोटलिंग), फाँसी लगाकर मृत्यु (हैंगिंग)।
9. मृत शरीर का मोरचरी तक परिवहन, शव परीक्षा व चिकित्सीय परीक्षण कराने में आरक्षी की भूमिका।
10. शव परीक्षा–बाल, विसरा आदि के नमूनों को सुरक्षित रखना।
11. मेडिको लीगल रिपोर्ट।
12. मेडिको लीगल दृष्टि से यौन अपराधों (बलात्कार/अप्राकृतिक यौन क्रिया) इत्यादि का ज्ञान।

ग–प्राथमिक उपचार

- प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं लाभ तथा विभिन्न प्रकार एवं संसाधन।
- प्राथमिक चिकित्सा के 9 सुनहरे नियम।
- घायल होने, साँप काटने, महामारी फैलने एवं आपदा के समय प्राथमिक सहायता।
- शरीर पर आई खुली चोटों एवं हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार।
- जल में डूबने एवं फाँसी लगने पर कृत्रिम श्वांस (C.P.R.) दिया जाना।
- जहर खाने एवं जलने की दशा में प्राथमिक उपचार।
- दौरा पड़ने एवं झुलसने की दशा में प्राथमिक उपचार।
- हड्डी टूटने, घाव, रगड़, नीलगू घाव पर मरहम पट्टी करने का व्यवहारिक ज्ञान।
- घायलों को उठाने एवं स्ट्रेचर न होने की दशा में ले जाने का व्यवहारिक ज्ञान।
- अभ्यासिक प्रदर्शन।
- दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ

  परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 मा0 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039) एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सक को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किये किया जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई अथवा नहीं।

व्यवहारिक प्रयोग

- क्राइम किट से विभिन्न प्रकार की प्राथमिक जाँचें किये जाने का व्यवहारिक ज्ञान यथा– रक्त, मादक पदार्थ/द्रव्य, फिंगर प्रिन्ट, हस्तलेख इत्यादि।
- घटना स्थल से अव्यक्त अंगुल चिन्हों का उठाना एवं विकसित करना।
- पदचिन्ह उठाना (कास्टिंग)।
- विभिन्न प्रकार के जले एवं कटे–फटे अभिलेखों को उठाना एवं पैक करना।
- विभिन्न प्रकार के विषों की पहचान ।
- घटना स्थल से प्राप्त विभिन्न प्रदर्शों का निरीक्षण, उठाना एवं पैक करना।
- घटना स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करना।
- नकली नोटों व अन्य वस्तुओं की पहचान।
- विभिन्न प्रकार के चिन्ह–टायर मार्क, घिसटने के निशान आदि।

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट–02

बाह्य विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र–प्रथम

शारीरिक प्रशिक्षण

कालांश– 100 **पूर्णांक–100**

विभिन्न मदों में कालाँश तथा पूर्णांकों का विभाजन :–

S 0सं0	**मद**	**कालाँश**	**पूर्णांक**
1	शारीरिक दक्षता परीक्षा	कालांश– 20	पूर्णांक–40
2	बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट	कालांश– 14	पूर्णांक–25
3	क्रिकेट बॉल थ्रो	कालांश– 08	पूर्णांक–06
4	दण्ड/रस्सी कूद	कालांश– 08	पूर्णांक–08
5	दौड़ 400 मीटर	कालांश– 20	पूर्णांक–10
6	पी0टी0 और ऑपरेट्स वर्क	कालांश– 30	पूर्णांक–11

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पुरूषों हेतु)

कालाँश–20 **पूर्णांक–40**

S 0 सं0	**परीक्षण**	**दक्षता स्तर**			**अंक**			**उत्तीर्ण**
		उत्कृष्ट	अच्छा	सन्तोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	सन्तोष जनक	
1.	2.4 कि0 मी0 दौड़	10.00 मिनट	11.00 मिनट	12.00 मिनट	8	6	4	50 प्रतिशत
2.	10कि0मी0 क्रॉसकन्ट्री दौड़	45 मिनट	55 मिनट	65 मिनट	8	6	4	50 प्रतिशत
3.	चिन–अप	08	07	06	8	6	4	50 प्रतिशत
4	बैठक	40	38	35	8	6	4	50 प्रतिशत
5	5 मीटर शटल (एक मिनट में)	16	15	14	8	6	4	50 प्रतिशत

टिप्पणीः–

1– शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक–पी0टी0 ड्रेस।

2– प्रशिक्षु जो एक इवैन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, अन्तिम परीक्षा में उस इवैन्ट में पुनः

सम्मिलित होगा ।

3– प्रशिक्षु जो दो इवैन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जायेगा, और अन्तिम परीक्षा में दुबारा पूरे इवैन्ट्स में सम्मिलित होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (महिलाओं हेतु)

कालाँश–20 **पूर्णांक–40**

क्र0 सं0	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	सन्तोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	सन्तोष जनक	
1.	2.4 कि0मी0 दौड़	11.30 मिनट	12.30 मिनट	13.30 मिनट	8	6	4	50 प्रतिशत
2.	100 मीटर तीव्र दौड़	16.00 सेकेण्ड	17.50 सेकेण्ड	19.00 सेकेण्ड	8	6	4	50 प्रतिशत
3.	बीम हैंगिग	6	5	4	8	6	4	50 प्रतिशत
4	बैठक	35	30	25	8	6	4	50 प्रतिशत
5	5 मीटर शटल (एक मिनट में)	14	13	12	8	6	4	50 प्रतिशत

टिप्पणी :–

1– शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक–पी0टी0 ड्रेस।

2– महिला प्रशिक्षु जो एक इवैन्ट में अनुत्तीर्ण होगी, अन्तिम परीक्षा में उस इवैन्ट में पुनः सम्मिलित होगी।

3– महिला प्रशिक्षु जो दो इवैन्ट में अनुत्तीर्ण होगी, वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण मानी जायेगी, और अन्तिम परीक्षा में दुबारा पूरे इवैन्ट्स में सम्मिलित होगी ।

बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (पुरूषों हेतु समय) (BPAT)

कालाँश–14 **पूर्णांक–25**

क्र0 सं0	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	सन्तोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	सन्तोष जनक	
1.	5 कि0मी0 दौड़	25 मिनट	27 मिनट	28 मिनट	8	6	4	50 प्रतिशत
2.	60 मीटर तीव्र दौड़	9 सेकेण्ड	10 सेकेण्ड	11 सेकेण्ड	8	6	4	50 प्रतिशत
3.	9 फीट गड्ढा (मय 2.5 फीट पानी)	पूर्णतः पार करना			4 अंक			उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
4	समानान्तर रस्सा	पूर्णतः पार करना			3 अंक			तदैव
5	लम्बवत् रस्सा	पूर्णतः पार करना			2 अंक			तदैव

नोटः–

प्रशिक्षु को बी0पी0ए0टी0 के सभी इवैन्ट्स पास करने हैं, यदि एक इवैन्ट में भी अनुत्तीर्ण होता है, तो अन्तिम परीक्षा में उसे बी0पी0ए0टी0 के सभी इवैन्ट्स में पुनः सम्मिलित होना होगा ।

बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (महिलाओं हेतु समय) (BPAT)

कालाँश –14 **पूर्णांक–25**

क्र0 सं0	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	सन्तोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	सन्तोष जनक	
1.	5 कि0मी0 दौड़	28.30 मिनट	30.30 मिनट	31.30 मिनट	8	6	4	50 प्रतिशत
2.	60 मीटर तेज दौड़	11 सेकेण्ड	12 सेकेण्ड	13 सेकेण्ड	8	6	4	50 प्रतिशत
3.	6फिटगड्ढा पानी सहित	पूर्णतः पार करना			4 अंक			उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
4	समानान्तरण रस्सा	पूर्णतः पार करना			3 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	पूर्णतः पार करना			2 अंक			तदैव

नोट :—महिला प्रशिक्षु को बी0पी0ए0टी0 के सभी इवैन्ट्स पास करने हैं, यदि एक इवैन्ट में भी अनुत्तीर्ण होती है, तो अन्तिम परीक्षा में उसे बी0पी0ए0टी0 के सभी इवैन्ट्स में पुनः सम्मिलित होना होगा।

क्रिकेट बॉल थ्रो

कालाँश—8 **पूर्णांक—06**

पुरूष			महिला		
क्र0 सं0	दूरी	अंक	क्र0 सं0	दूरी	अंक
1	60 मीटर थ्रो	6	1	30 मीटर थ्रो	6
2	50 मीटर थ्रो	5	2	25 मीटर थ्रो	5
3	40 मीटर थ्रो	4	3	20 मीटर थ्रो	4
4	35 मीटर थ्रो	3	4	15 मीटर थ्रो	3
5	30 मीटर थ्रो	2	5	10 मीटर थ्रो	2

दण्ड (पुरूष) **रस्सी कूद (महिला)**

कालाँश—8 **अंक—08**

पुरूष दण्ड			महिला रस्सी कूद		
क्र0 सं0	विषय	अंक	क्र0 सं0	विषय	अंक
1	01 मिनट में 30 दण्ड	8	1	01 मिनट में 100जम्प	8
2	01 मिनट में 25 दण्ड	6	2	01 मिनट में 90 जम्प	6
3	01 मिनट में 20 दण्ड	4	3	01 मिनट में 80 जम्प	4
4	01 मिनट में 15 दण्ड	2	4	01 मिनट में 70 जम्प	2
5	01 मिनट में 10 दण्ड	1	5	01 मिनट में 50 जम्प	1

दौड़ 400 मीटर

कालाँश—20 **अंक—10**

पुरूष – 400 मीटर			महिला – 400 मीटर		
क्र0 सं0	विषय	अंक	क्र0 सं0	विषय	अंक
1	01.05 मिनट तक	10	1	01.15 मिनट तक	10
2	01.06 से अधिक समय से 01.10 मिनट तक	08	2	01.16 से अधिक समय से 01.20 मिनट में	08
3	01.11 से अधिक समय से 01.15 मिनट तक	06	3	01.21 से अधिक समय से 01.25 मिनट में	06
4	01.16 से अधिक समय से 01.20 मिनट तक	04	4	01.26 से अधिक समय से 01.30 मिनट में	04

5	01.21 से अधिक समय से 01.25 मिनट तक	03	5	01.31 से अधिक समय से 01.35 मिनट में	03
6	01.26 से अधिक समय से 01.30 मिनट तक	02	6	01.36 से अधिक समय से 01.40 मिनट में	02
7	01.31 से अधिक समय से 01.35 मिनट तक	01	7	01.41 से अधिक समय से 01.45 मिनट में	01

पी0टी0 और ऑपरेट्स वर्क

कालाँश–30 **पूर्णांक–11**

पुरूष		महिला	
विषय	**पूर्णांक**	**विषय**	**पूर्णांक**
पी0टी0 एक्सरसाइज	2	पी0टी0 एक्सरसाइज	2
कमाण्ड लीडर शिप	2	कमाण्ड लीडर शिप	2
सामने लुढ़क	2	सामने लुढ़क	2
पीछे लुढ़क	2	पीछे लुढ़क	2
रस्सा	3	रस्सा	3
योग	11	योग	11

रस्सा चढ़ने के आधार पर अंको का वर्गीकरण

S 0सं0	**विषय**	**पुरूष–अंक**	**महिला–अंक**
1	प्रथम श्रेणी चढ़ने पर	3	–
2	द्वितीय श्रेणी चढ़ने पर	2	–
3	तृतीय श्रेणी चढ़ने पर	1	3

<u>नोटः</u>–

- वालवार्स एवं लकड़ी के घोड़े का प्रशिक्षण दिया जायेगा, किन्तु इसकी परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी ।
- महिला प्रशिक्षुओं के लिए तृतीय श्रेणी का रस्सा निर्धारित है। पूर्ण रूप से चढ़ने पर पूरे अंक दिये जायेंगे।

प्रश्न पत्र–द्वितीय
पदाति प्रशिक्षण (Infantry Training)

कालाँश–100 **पूर्णांक–75**

विषयवार कालाँश एवं अंकों का निर्धारण

ऽ0सं0	विषय	कालाँश	पूर्णांक
1	टर्न आउट	–	06
2	स्क्वाड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र रहित)	35	20
3	शस्त्र ड्रिल/रायफल एक्सरसाइज	35	20
4	रैतिक ड्रिल एवं सम्मान गार्द	10	06
5	गार्द माउंटिंग	06	06
6	केन ड्रिल	04	04
7	हर्ष फायर एवं शोक कवायद	04	07
8	ई0ओ0डी0	06	06
योग		**100**	**75**

विषय वस्तु का विवरण

2. शस्त्र रहित कवायद

कालाँश–35

ऽ0सं0	विषय
1	सावधान–विश्राम, आराम से
2	मुड़ना, आधा मुड़ना
3	सजना
4	तीन लाइन में फाल–इन होना
5	गिनती करना
6	खुली लाइन, निकट लाइन
7	खड़े–खड़े मुड़ना
8	विसर्जन, बाहर निकलना, साइजिंग
9	परेड पर फाल–इन होना, कदम की दूरी, समय
10	स्क्वाड में अन्तर से फाल–इन होना
11	तेज चाल में मार्च करना व रूकना
12	कदम आगे, कदम पीछे तथा कदम साइड में चलना
13	धीरी चाल में चलना व थम
14	घूमना, मुड़ना धीरी चाल में
15	धीरी चाल में कदम ताल व थम

16	तेज चाल व दौड़ चाल में कदम ताल व थम
17	तेज चाल व धीरी चाल में कदम बदलना
18	दौड़ चाल में चलना, कदम ताल व रूकना
19	धीरी चाल, तेज चाल और दौड़ चाल में आना
20	धीरी चाल में लाइन में मार्च करना, घूमना
21	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना (धीरी चाल में)
22	थम कर दिशा बदलना चलते चलते दिशा बदलना (तेज चाल में)
23	थम कर स्क्वाड बनाना, चलते चलते स्क्वाड बनाना (धीरी चाल में)
24	चलते हुए तेज चाल में स्क्वाड बनाना
25	सिंगल फाइल में मार्च करना व तीन लाइन बनाना
26	तीन लाइन से दो लाइन बनाना
27	दो लाइन से तीन लाइन बनाना
28	धीरी चाल में मार्च करना व मुड़ना
29	तेज चाल में चलना व मुड़ना
30	तेज चाल में घूमना व मुड़ना
31	थम कर सैल्यूट, पत्री के साथ सैल्यूट
32	दाहिने व बांए का सैल्यूट
33	दाहिने देख, बांए देख बिना टोपी व सादे वस्त्र में

3. शस्त्र सहित कवायद

कालाँश–35

क्र0सं0	**विषय**
1	बाजू शस्त्र से कन्धे शस्त्र, कन्धे शस्त्र से बाजू शस्त्र
2	कन्धे शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से कन्धे शस्त्र
3	भूमि शस्त्र, उठा शस्त्र
4	कन्धे शस्त्र से बायें शस्त्र, बाएं शस्त्र से कन्धें शस्त्र, बाजू शस्त्र से बाएं शस्त्र, बाएं शस्त्र से बाजू शस्त्र
5	निरीक्षण को बाएं शस्त्र, बोल्ट चला
6	बाएं शस्त्र से जांच शस्त्र, बोल्ट चला, जांच शस्त्र से बाएं शस्त्र, जांच शस्त्र से बाजू शस्त्र
7	बाजू शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बाजू शस्त्र, कन्धे शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से कन्धें शस्त्र
8	कन्धे शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से कन्धे शस्त्र
9	बाजू शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से बाजू शस्त्र
10	कन्धे शस्त्र से बदल शस्त्र, तौल शस्त्र से बदल शस्त्र
11	सम्भाल शस्त्र से बदल शस्त्र

12	सिलिंग कसना व सिलिंग ढीली करना
13	कन्धे शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से कन्धे शस्त्र
14	बाजू शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से बाजू शस्त्र
15	तान शस्त्र से कन्धे शस्त्र तथा बाजू शस्त्र से ऊंचा बांये शस्त्र
16	लटका शस्त्र, बगल शस्त्र
17	सावधान, विश्राम, आराम से, रायफल के साथ
18	मुड़ना व आधा मुड़ना रायफल के साथ
19	बाजू शस्त्र व कन्धे शस्त्र की दशा में सजना
20	सजना, बायें सज, दाहिने सज, मध्य सज
21	खड़े हुए बट सैल्यूट, सामने का सैल्यूट, चलते चलते सैल्यूट, पत्री के साथ सैल्यूट
22	रायफल के साथ चलते हुए दाहिने व बाँए का सैल्यूट
23	रायफल के साथ तेज चाल में मार्च
24	रायफल के साथ धीरी चाल में मार्च
25	धीरी चाल व तेज चाल में मुड़ना
26	रायफल के साथ मार्चिंग, धीरी चाल व तेज चाल में थम बनाना
27	धीरी चाल व तेज चाल में रायफल के साथ मुड़ना व घूमना
28	रायफल के साथ धीरी चाल व तेज चाल मार्च में छोटे व लम्बे कदम से मार्च करना
29	स्वास्थान, लाइन तोड़, लाइन बन
30	थम कर दिशा बदलना (धीरी चाल व तेज चाल में)
31	थम कर स्क्वाड बनाना (धीरी चाल व तेज चाल में)
32	धीरी चाल, तेज चाल व दौड़ चाल में खुलना
33	रायफल के साथ सैल्यूट, पत्री के साथ सैल्यूट व दाहिने बायें का सैल्यूट
34	सावधान से मार्च
35	शस्त्र के साथ तेज चाल में लम्बा कदम, छोटा कदम
36	स्क्वाड का मार्च करना, सिंगल फाइल बनाना व तीनों तीन बनाना
37	लाइन फारमेशन से फाइल में रायफल सहित खुलना तीनों तीन बनाना व लाइन फारमेशन बनाना
38	तीनों तीन से फाइल में रायफल के साथ खुलना, तीनों तीन बनाना व लाइन बनाना
39	शस्त्र के साथ स्क्वाड ड्रिल

नोट– मूल उद्देश्य प्रशिक्षुओं में उचित प्रतिष्ठा, अनुशासन और साइको मोटर कुशलता विकसित करना है।

प्रश्न पत्र–तृतीय
शस्त्र प्रशिक्षण (रात्रि फायरिंग सहित)

कालाँश–65 **पूर्णांक –65**

क्र0सं0	मद	कालाँश	पूर्णांक
1	शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त	कालांश–30	पूर्णांक–25
2	शस्त्र फायरिंग	कालांश–35	पूर्णांक–40

परीक्षा हेतु अंको का निर्धारण

कालाँश–30 **पूर्णांक–25**

शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त

क्र0सं0	विषय	कालाँश	पूर्णांक
1	5.56 एमएम इन्सास	4	4
2	7.62 एमएम एसएलआर	4	4
3	9 एमएम कार्बाइन	4	3
4	एके–47	4	2
5	9 एमएम पिस्टल .38 '' रिवाल्वर	4	4
6	जी0एफ0 रायफल	3	2
7	आई0ई0डी0, बूबी ट्रैप्स व एक्सप्लोसिव का ज्ञान एवं सावधानियां पहचान तथा निष्क्रिय करना	3	4
8	पी0एम0एफ0 एवं वी0एल0पी0	2	1
9	36 एच0ई0 ग्रिनेड	2	1
10	ग्लॉक पिस्टल, एम0पी0 5 (डेमो)	–	–
11	देसी असलहों का ज्ञान (डेमो)	–	–
योग		**30**	**25**

कालाश्ं–35 **पूर्णांक–40**

शस्त्र फायरिंग

{ 0 सं0	शस्त्र	संख्या एम्युनेशन	अंक
1	5.56 एमएम इन्सास रायफल (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	10
2	7.62 एमएम एसएलआर (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	10
3	9 एमएम कार्बाइन/(कंधे से शिस्त लेकर, बेटल क्राउच)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	10

4	रबर बुलेट फायरिंग	01 रबर बुलेट प्रति प्रशिक्षु	05
5	डमी ग्रिनेड थ्रो	01 थ्रो (डमी ग्रेनेड से)	05
योग			**40**

शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त एवं विभिन्न शस्त्रों से फायरिंग की विषय वस्तु

5.56 एमएम इन्सास

क्र0सं0	विषय
1.	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार
2.	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना
3.	शिस्त लगाना
4.	सफाई व रख रखाव
5	भरना व खाली करना
6.	लेटकर पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना
7.	शिस्त लेना प्रथम–दूरी व फिगर टारगेट
8	ट्रिगर नियन्त्रण
9.	फायरिंग पोजीशन व एक गोली फायर करना
10.	शिस्त लेना द्वितीय–साइट बदलना
11.	बोल्ट चलाना

7.62 एमएम एस0एल0आर0

क्र0सं0	विषय
1.	परिचय
2.	खोलना, पुर्जों के नाम व जोड़ना
3.	सफाई व रख–रखाव
4	भरना व खाली करना, पकड़ना, शिस्त लेना, साइट निर्धारण–ले जाने की दशाएं
5	एक गोली फायर करना, रूकावटें व तुरन्त कार्यवाही
6.	साइट परिवर्तन, शिस्त का बिन्दु, चलते टारगेट पर शिस्त, हवा का प्रभाव

9 एमएम कार्बाइन

क्र0सं0	विषय
1	परिचय, खोलना व जोड़ना
2	कार्बाइन व स्टेन में अन्तर
3	रख–रखाव व सफाई
4	भरना व खाली करना
5	ले जाने की दशाएं, शिस्त लेना–फायर पोजीशन
6	रूकावटें व तुरन्त कार्यवाही

ए0के0–47

क्र0सं0	विषय
1	परिचय, खोलना व जोड़ना
2	भरना, खाली करना, फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशाएं, फायरिंग
3	फायर, रूकावटें व त्वरित कार्यवाही

9 एमएम पिस्टल/ग्लाक पिस्टल

क्र0सं0	विषय
1	परिचय, पिस्टल का निरीक्षण, सुरक्षा एहतियाती उपाय, खोलना, जोड़ना
2	भरना, खाली करना, फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशाएं, फायरिंग पोजीशन, मेकसेफ की कार्यवाही, एक गोली फायर करना, रूकावटें एवं त्वरित कार्यवाही

.38'' रिवाल्वर

क्र0सं0	विषय
1	परिचय, रिवाल्वर का निरीक्षण, रिवाल्वर निकालना एवं वापस रखना
2	देखभाल एवं सफाई, भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन में फायरिंग करना

प्रश्न पत्र–चतुर्थ

जंगल प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स (रात्रि प्रशिक्षण सहित)

कालांश –70 **पूर्णांक–75**

अंकों एवं कालाँशों का निर्धारण एवं विषय वस्तु

विषय	कालाँश,व्याख्यान /प्रदर्शन	अंक
भूमि के प्रकार एवं भूमि का वर्णन	1	03
आड़ों के प्रकार	1	02
देखभाल के तरीके	1/2	02
दूरी निर्धारित करने/अनुमान लगाने के तरीके	2/4	03
चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं	1	02
फील्ड संकेत	2	03
सेक्शन संरचना	2/2	03
विभिन्न टारगेटों की पहचान व समझ	1	03
सैण्ड मॉडल पर ब्रीफिंग या निर्देश	3	06
कैम्प स्थापित करना	2	03
घात एवं प्रतिघात	2/2	05
काम्बिंग अभियान	3/2	05
आड़ एवं फायर	2	03
निगरानी	2	03
नक्सलवादियों द्वारा अपनाई गयी टैक्टिक्स की जानकारी एवं प्रति उपाय करना	3	06
कार्डन एवं खोज निकालना/ढूंढ़ना	7	05
रोड ब्लॉक एवं वाहनों व व्यक्तियों को चैक करना (व्यवहारिक अभ्यास)	3/2	06
कमरा/मकान में घुसना/हस्तक्षेप	4/2	05
मैप रीडिंग एवं जीपीएस के प्रयोग सहित नेवीगेशन	6/2	05
रात्रि संतरी के कर्त्तव्य व प्रदर्शन	2/2	02
योग	**70**	**75**

नोट :–

- मैप रीडिंग की सिखलाई सैन्ड मॉडल से करायी जाये।
- जो प्रशिक्षण संस्थान जंगल की सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ है, उनके द्वारा यह प्रशिक्षण संस्थान के अन्दर ही दिया जायेगा।

रूट मार्च
नाइट विजन उपकरणों का परिचय एवं परिसर में रात्रि मार्च (प्रत्येक माह में)
05 किमी0 (रायफल सहित, देखभाल कौशल का परीक्षण, छद्म व छुपाव– प्रदर्शन)
06 किमी0 (रायफल सहित, दूरी के अनुमान व आगे बढ़ने विषयक फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स के अभ्यास सहित)
07 किमी0 (रायफल सहित, दूरी के अनुमान एवं स्मृति के आधार पर खाका बनाने का अभ्यास (रात्रि फायरिंग)
08 किमी0 (रायफल सहित, फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास, रात्रि सड़क मार्च व पैट्रोलिंग)
09 किमी0 (रायफल एवं फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास सहित – सेक्शन चांस एन्काउन्टर व कोम्बिंग)
10 किमी0 रायफल के साथ–साथ फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एवं युद्ध संचारण अभ्यास (बैटिल इनाक्यूलेशन एक्सरसाइज) सहित

प्रश्न पत्र–पंचम

भीड़ नियन्त्रण

कालाँश–40 **पूर्णांक – 50**

क्र0सं0	मद	कालाँश	अंक
1	लाठी ड्रिल	कालां ा–10	अंक– 15
2	अश्रु गैस	कालां ा–10	अंक– 15
3	दंगा नियंत्रण	कालां ा–20	अंक– 20

लाठी ड्रिल

कालाँश–10 **अंक–15**

क्र0सं0	विषय
1	छोटी लाठी–वर्णन–सावधान, विश्राम एवं आराम से
2	मुड़ना एवं लाठी सहित थमने पर सजना
3	लाठी के साथ मार्च
4	थमने पर सैल्यूट– प्रस्थान का एवं पत्रिका के साथ (सूचना) सैल्यूट करना
5	लाठी के साथ सैल्यूट–थम कर स्क्वाड का विसर्जन
6	थमकर एवं धीमी व तेज चाल में दिशा बदलना और स्क्वाड बनाना

7	मार्च करना–सामने का एवं पत्रिका के साथ (सूचना) सैल्यूट– दाहिने व बायें का सैल्यूट
8	लाठी क्लास का खुलना – 1 से 4 अभ्यास एवं निकट आना
9	भीड़ नियन्त्रण हेतु लाठी का प्रयोग एवं सावधानियाँ

अश्रु गैस

कालाँश–10 **अंक–15**

क्र0सं0	विषय
1	परिचय, विशेषतायें, म्यूनिशन व रेस्पिरेटर के प्रकार
2	ग्रिनेड व शैलों के प्रकार, अश्रु गैस का प्रभाव
3	रायफल ड्रिल
4	ग्रिनेड फेंकने का ड्रिल एवं आवश्यक सावधानियाँ
5	म्यूनिशन का फेंकना व फायर करना
6	रेस्पिरेटर का प्रयोग व गैस ड्रिल

नोटः

रिक्रूट आरक्षियों से अश्रु गैस ग्रेनेड फेकने का अभ्यास कराया जाये।

दंगा नियंत्रण ड्रिल

कालाँश–20 **अंक–20**

क्र0सं0	विषय
1	दंगे का परिचय, वाटरकैनन, प्लास्टिक छर्रों, रबर बुलेट आदि कम घातक उपायों का प्रयोग। दंगा नियन्त्रण ड्रिल सम्बन्धी व्याख्यान एवं प्रदर्शन
2	नियन्त्रण पार्टियों की तैयारी व संरचनायें (फॉरमेसेन्स) तथा विभिन्न संरचनाओं का प्रयोग
3	कार्यवाही – बायें, दाहिने, पीछे एवं चौतरफा
4	दंगा नियन्त्रण ड्रिल का अभ्यास
5	वाहन में चढ़ने व उतरने की ड्रिल
6	अनुरूपण (सिम्युलेशन)

प्रश्न पत्र–षष्टम्
अनआर्म्ड काम्बैट (यू0ए0सी0)

कालाँश–35 **पूर्णांक–30**

(अ) खाली हाथ दुश्मन से प्रतिरक्षा

कालाँश–15 **अंक–10**

1– कलाई की पकड़ से प्रतिरक्षा
2– लेटे हुए प्रतिरक्षा करना
3– बालों की पकड़ से प्रतिरक्षा
4– गले की पकड़ से प्रतिरक्षा
5– कालर और कन्धों की पकड़ से प्रतिरक्षा
6– पीछे की पकड़ से प्रतिरक्षा
7– पैरों की किक से प्रतिरक्षा
8– मुक्के के हमले से प्रतिरक्षा
9– कुश्ती की तरह पकड़ से प्रतिरक्षा

(ब) सशस्त्र दुश्मन से प्रतिरक्षा

कालाँश–10 **अंक– 10**

1– स्टिक द्वारा हमले से प्रतिरक्षा
2– चाकू द्वारा हमले से प्रतिरक्षा
3– रिवाल्वर द्वारा हमलों से प्रतिरक्षा
4– रायफल द्वारा हमलों से प्रतिरक्षा

(स) खाली हाथ दुश्मन पर आक्रमण

कालाँश–10 **अंक–10**

1– हाथ मिलाने वाला आक्रमण
2– आक्रमण करके प्रतिद्वंदी को गिराना
3– आक्रमण करके फाँस लगाना

प्रश्न पत्र–सप्तम्

योगासन

कालाँश–40 **पूर्णांक –35**

1– सूर्य नमस्कार
2– आयुश विभाग द्वारा निर्धारित योग क्रियाएं।

प्रश्न पत्र–अष्टम्

यातायात नियंत्रण

कालाँश–35 **पूर्णांक –40**

S 0सं0	विषय	कालाँश	अंक
1	यातायात संकेत ड्रिल व चौराहों पर यातायात को नियन्त्रित करना	10	10
2	श्वांस विश्लेषक का प्रयोग	5	03
3	स्पीड राडार/गन का प्रयोग	5	07
4	यातायात साज–सज्जा (फर्नीचर) एवं सड़क सुरक्षा उपकरणों का परिचय	5	05
5	अग्निशमन एवं बचाव कार्य	5	05
6	एम0टी0 थ्यौरी	5	10
	योग	**35**	**40**

प्रश्न पत्र–नवम्

आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण एवं वन मिनट ड्रिल

कालाँशः100 **पूर्णांक–85**

1–आतंकवाद निरोधक अभियान का प्रशिक्षण

कालाँश–60 **पूर्णांक–45**

इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा आतंकवाद के बढ़ते हुए भय तथा वर्तमान आतंकी समूहों की स्थिति से अवगत कराया जायेगा। स्कूलों, शॉपिंग सेन्टर, धार्मिक स्थलों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों आदि पर होने वाले आतंकी हमलों के सम्बन्ध में प्रशिक्षु आरक्षी को सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2– डकैती विरोधी अभियान का प्रशिक्षण

कालाँश–20 **पूर्णांक –20**

डकैती विरोधी अभियान का प्रशिक्षण यथासंभव संस्था के अंदर अथवा आस–पास स्थित भौगोलिक दृष्टिकोंण से उपयुक्त स्थान पर विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के डकैती प्रभावित क्षेत्रों व वर्तमान गिरोहों से प्रशिक्षु आरक्षी को अवगत कराया जायेगा।

3– वन मिनट ड्रिल

कालाँश–20 **पूर्णांक –20**

- पी0टी0 ड्रेस बदलकर यूनीफार्म पहनना।

- एक पैर पर खड़े होकर जूते बांधना।
- भूतल से प्रथम तल पर मेडिसिन बॉल पहुँचाना।
- शस्त्रागार से सुरक्षित ढंग से शस्त्र निकालना व रखना।
- गाड़ी की चैकिंग करना।
- चीजों को याद रखना।
- तत्काल गाढ़ाबन्दी करना।
- बिना आवाज के सूचना पहुँचाना।
- अँधेरे में मैगजीन भरना।
- अँधेरे में हेवरसेक पैक करना।

प्रश्न पत्र–दशम्

विशिष्ट तलाशी अभियान (Special Search Operation)

कालाँश–40 **पूर्णांक–45**

मद	पूर्णांक
आवासीय भवन की तलाशी	पूर्णांक –07
कार्यालयों/गोदामों की तलाशी	पूर्णांक –07
गाँव को कार्डन करना एवं तलाशी	पूर्णांक –07
शहरी क्षेत्र में कार्डन/तलाशी	पूर्णांक –07
वाहन को रोकना एवं तलाशी	पूर्णांक –07
सड़क की छान–बीन एवं सड़क को यातायात के लिए चालू करना	पूर्णांक –10

संस्था प्रभारी द्वारा मूल्यांकन

क्र0सं0	विषय	अंक
1	नेतृत्व क्षमता (कक्षा मॉनीटर/टोली कमाण्डर/मेस मैनेजर एवं अन्य गतिविधियाँ	20
2	खेलकूद	20
3	सांस्कृतिक अभिरूचि	20
4	संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षु के समग्र प्रशिक्षण के आधार पर दिये जाने वाले अंक	40
	योग	**100**

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट–03

36. अन्तःकक्षीय विषयों हेतु संस्तुत पाठ्य पुस्तकें

क्र0 सं0	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
1.	भारतीय दण्ड संहिता	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
2.	दण्ड प्रकिया संहिता	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
3.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
4.	केन्द्रीय विविध अधिनियम–भाग 1	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
5.	केन्द्रीय विविध अधिनियम–भाग 2	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
6	उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित विविध अधिनियम	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
7.	भूलेख एवं भू–सर्वेक्षण	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
8.	जिला अपराध अभिलेख पुस्तिका	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
9.	ए हैण्ड बुक फॉर पुलिस फार्म	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
10	मादक द्रव्य संहिता	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
11.	न्यायालयिक विज्ञान एवं अपराध अन्वेषण	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
12.	घटना स्थल प्रबन्धन प्रोटोकॉल	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
13.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर क्राइम	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
14.	पुलिस विज्ञान प्रथम	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
15.	पुलिस विज्ञान द्वितीय	डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद

37. बाह्य कक्षीय विषयों हेतु संस्तुत पाठ्य पुस्तकें

{ 0सं0	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
1.	कम्प्यूटर का परिचय	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
2.	भारतीय संविधान	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर

3.	पुलिस संगठन, कार्य पद्धति एवं चुनौतियाँ	ए0पी0टी0सी0, सीतापुर
4.	पुलिस ड्रिल मैनुअल	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
5.	फील्ड क्राफ्ट एवं पुलिस ट्रेनिंग	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
6.	पदाति प्रशिक्षण एवं पी0टी0 टेबिल	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
7.	रायफल बैनेट	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
8.	एस0एल0आर0	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
9.	अश्रु गैस/बलवा ड्रिल	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
10	एन्टी डकैती ड्रिल एवं स्कीम	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
11	प्रश्नोत्तरी	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
12	प्राथमिक सहायता	सेंट जॉन एम्बुलेंन्स एसोसिएसन, ए0पी0टी0सी0 सीतापुर

नोट– इसका पाठ्यक्रम/सामान्य निर्देश डॉ0 भीमराव आम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद तथा ए0पी0टी0सी0 सीतापुर के प्रकाशन विभागों से प्राप्त कर प्रत्येक प्रशिक्षु को उपलब्ध कराया जाएगा।

परिशिष्ट–04

आरक्षी नागरिक पुलिस व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचनाः–

आधारभूत प्रशिक्षण बैच के प्रशिक्षु 06 माह का आधारभूत कोर्स करने के बाद नियुक्त जनपदों में 06 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जनपद के प्रभारी इनका 06 का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्गत करेंगे। जनपद में आगमन करने वाले प्रशिक्षुओं को उपयुक्त संख्या में अलग–अलग थाने में भेज दिया जाये। जनपद स्तर पर आयोजित अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जनपद प्रभारी द्वारा थाना प्रभारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाये। उसी 06 माह के व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान जनपद में उपस्थित प्रशिक्षुओं का 07 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर उन्हें छोटे–छोटे बैच में जनपदीय मुख्यालय बुलाकर पुलिस कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, अभियोजन कार्यालय, कन्ट्रोलरूम तथा कारागार का भ्रमण कराया जाय। भ्रमण के पश्चात शेष प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाय। इसमें इस चरण में प्रशिक्षु निम्न कार्य सीखेगेंः–

1– सन्तरी के कार्य एवं कर्त्तव्य (पुलिस रेगुलेशन के अनुसार सन्तरी ड्यूटी होमगार्ड को नहीं दी जा सकती है।)
2– टेलीफोन एवं वायरलैस ड्यूटी।
3– आगन्तुकों/महिलाओं/बच्चों के साथ शिष्ट वं शालीन व्यवहार।
4– गिरफ्तारी/तलाशी का प्रपत्र (फर्द) तैयार करना।
5– गिरफ्तारी की सूचना का प्रपत्र तैयार करना व जी0डी0 में प्रविष्टि करना।
6– थाने पर आने वालो घायलों/पींड़ितो/अभियुक्तों की डाक्टरी कराना।
7– न्यायालय में पैरवी करना।
8– वीआईपी/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का ज्ञान।
9– अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना।
10– शैडो, गनर, पी0एस0ओ0 ड्यूटी का प्रशिक्षण।
11– प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करना।
12– पोस्टमार्टम ड्यूटी करना।
13– हाट बाजार/मेला/त्यौहार से संबंधित शांति व्यवस्था ड्यूटी करना।
14– जी0डी0 में आमद व रवानगी करना।
15– जी0डी0 में अन्य प्रविष्टियां करना।
16– थाने के अभिलेखों में प्रविष्टि अंकित किया जाना।
17– मुल्जिम ड्यूटी के दौरान ध्यान देने योग्य बातों की जानकारी।
18– सम्मन/वारंट की तामील।
19– रोड गश्त/नगर क्षेत्र गश्त/देहात गश्त/नाकाबन्दी/गाढ़ाबन्दी की ड्यूटी का प्रशिक्षण।

20– यातायात नियंत्रण ड्यूटी का प्रशिक्षण।
21– शस्त्रों की सफाई व रख–रखाव का प्रशिक्षण।
22–आपराधिक घटनास्थल की सुरक्षा एवं प्रदर्शों को सील किए जाने संबंधी प्रशिक्षण।
23– बीट बुक तैयार करना/बीट का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करना।
24– बीट में क्षेत्र के लोगों से जनसम्पर्क।
25– बीट सूचना का जी0डी0 व बीट सूचना रजिस्टर में अंकन करना।
26– दुराचारी/सक्रिय अपराधी/मफरूर की निगरानी।
27– आपराधिक सूचनाओं के एकत्रीकरण का ज्ञान।
28– तैराकी प्रशिक्षण।
29– मोटर साइकिल प्रशिक्षण।

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश